GST – A Boon for Indian Economy (Concept & Benefits)



The Institute of Chartered Accountants of India (Set up by an Act of Parliament) New Delhi

© The Institute of Chartered Accountants of India

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form, or by any means, electronic mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without prior permission, in writing, from the publisher.

DISCLAIMER:

The views expressed in this book are of the author(s). The Institute of Chartered Accountants of India may not necessarily subscribe to the views expressed by the author(s). The information cited in this book has been drawn from various sources. While every effort has been made to keep the information cited in this book error free, the Institute or any office of the same does not take the responsibility for any typographical or clerical error which may have crept in while compiling the information provided in this book.

Edition : August, 2015

Committee/Department : Indirect Taxes Committee

Email : idtc@icai.in

Website : www.icai.org

Price : ₹ 100/-

ISBN No. : 978-81-8441-805-7

Published by : The Publication Department on behalf of the

Institute of Chartered Accountants of India, ICAI Bhawan, Post Box No. 7100, Indraprastha

Marg, New Delhi - 110 002.

Printed by : Sahitya Bhawan Publications, Hospital Road,

Agra 282 003 August/2015/2,000

PRESIDENT'S MESSAGE

In India, Goods & Services Tax (GST) would be a comprehensive tax to be levied on manufacture, sale and consumption of goods & services. GST is one of the biggest tax reforms in the country post-independence which will integrate all the state economies and boost overall growth.

One of the reasons to go the GST way is to facilitate seamless credit across the entire supply chain and across all States under a common tax base which is not available in the current scenario. GST would introduce a uniform taxation law across states and different sectors in respect to indirect taxes which would make supply of goods and services hassle free throughout the country. This will help in removing economic distortions, promote exports and bring about development of a common national market which in turn would definitely give a boost to India's tax-to-gross domestic product ratio and thus help in promoting economic efficiency and sustainable long term economic growth.

The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) in sync with its motto of being a partner in Nation Building has committed itself to play a pivotal role to support the government in the smooth implementation of GST in India. ICAI has undertaken various initiatives to spread awareness about GST among its members and other stakeholders which includes organising programmes/ seminars, releasing publications, inviting suggestions, making representations, etc.

In continuation of these initiatives, the Indirect Taxes Committee of ICAI has come up with this publication named "GST - A Boon for Indian Economy" which briefly elucidates features & benefits of GST with examples along with concepts of Revenue Neutral Rate, IT Strategy of GST, Comparison between present & proposed tax regime, etc.

I sincerely appreciate CA. Atul Gupta, Chairman, CA. Shyamlal Agarwal, Vice Chairman and other members of the Indirect Taxes Committee for their efforts in bringing out this publication.

I am sure you will find this publication highly useful.

Date: 26.06.2015 CA. Manoj Fadnis
Place: New Delhi President, ICAI

VICE - PRESIDENT'S MESSAGE

GST is a tax leviable on supply of goods and serviceswhereinsupplier may claim credit of tax paid by him while procuring goods or services. It is designed to simplify present indirect tax system by integrating the union excise duties, customs duties (CVD/SAD), service tax and state VAT into a *single* structure.

Implementation of GST in India will have an extensive impact on almost all aspects of business operations in a country, including pricing; supply chain optimization; IT, accounting and tax compliance systems. It will address the major problems of the current system like tax cascading, complexities, exclusion of services from state levy, burden of tax on supply chain etc. The paradigm shift from current system to a simpler regime will benefit the trade which in turn will improve compliance & reduce tax evasion.

To exemplify the concept and benefits of GST, the Institute of Chartered Accountants of India has brought out this publication named "GST – A Boon for Indian Economy" specifically for Members of Parliament & Legislative Assemblies of State as a contribution towards its initiative to support the Government with implementing GST in India. This publication may help you understand the basic framework of GST and its benefits to the Indian Economy.

I wholeheartedly laud the efforts of CA. Atul Gupta, Chairman, CA. Shyamlal Agarwal, Vice-Chairman and Other Members of the Indirect Taxes Committee for bringing out this publication. I hope our joint efforts will make the Implementation of GST in India a hassle free process.

Date: 26.06.2015 CA. M. Devaraja Reddy Place: New Delhi Vice-President, ICAI

CHAIRMAN'S MESSAGE

Indian economy is at the behest of implementing by far the most radical taxation reforms in India -- the Goods and Services Tax (GST) which will remove the cascading effects under present structure & pave the way for Common National Market to make India globally competitive. Introduction of GST would rationalize tax content in product price and possibly trickle down the benefit to the ultimate consumer.

One of the major reasons to implement GST in India would be the provision of having a concurrent fiscal autonomy between the Centre & States which would empower both levels of the Government to apply tax to a comprehensive base of goods & services at all the points in supply chain. This would also promote economic efficiency and pave a way for establishment of common market with India.

The Indirect Taxes Committee has brought out this publication named "GST – A Boon for Indian Economy" exclusively for the Members of Parliament & Legislative Assemblies of State. This publication broadly explains the concept of GST, GST model in India, Benefits of GST, Illustrations, GST in other countries etc.

At this juncture, I would like to express my sincere gratitude and thanks to CA. Manoj Fadnis, President, ICAI, CA. Devaraja Reddy, Vice-President, ICAI and other members of the committee for their guidance and support in this initiative and bringing this material to its being.

I trust this material would prove to be useful in your endeavours.

Date: 26.06.2015 CA. Atul Gupta
Place: New Delhi Chairman

Indirect Taxes Committee

VICE - CHAIRMAN'S MESSAGE

The 122nd Constitution Amendment Bill, 2014 has been passed in Lok Sabha on 6th May 2015 which marks another step of the government towards implementing GST with effect from 1st April 2016. GST in India would be one of the most comprehensive tax reforms which would subsume the present gamut of taxes like excise, service tax, VAT, Central Sales Tax etc. and create an integrated & a unified national market which would make India more competent globally.

In order to broadly outline the concepts and benefits of GST in India, the Indirect Taxes Committee of ICAI has come up with this publication "GST – A Boon For Indian Economy" designed explicitly for the Members of Parliament & Legislative Assemblies of State. Various illustrations in this publication are used to showcase the benefits of GST for Indian Economy.

This researched material is a result of efforts Indirect Taxes Committee of ICAI with due support from CA. Manoj Fadnis, President & CA. Devaraja Reddy, Vice-President, ICAI. I would also like to commend the efforts of Indirect Taxes Secretariat for bringing out this publication.

I wish to extend ICAI's support for GST implementation in India.

Place: New Delhi

Date: 26.06.2015 CA. Shyamlal Agarwal

Indirect Taxes Committee

Vice-Chairman

CONTENTS


1.	Present Indirect Tax Structure of India	1
2.	What is GST and How It Works	6
3.	Benefits of GST	14
4.	Present Tax Structure v/s GST – A Comparative Study	18
5.	Illustrations to Showcase Benefits of GST	24
6.	GST in Other Countries	32

Chapter-1

Present Indirect Tax Structure of India

The Indirect tax structure in India is multifaceted and layered. Currently, there is a dual system of taxation of goods and services. The taxes on Goods and Services are charged on value added tax principle with input tax credit mechanism for taxation of goods and services, respectively, with limited cross-levy set-off.

The present tax structure can best be described by the following chart:



It is important to note that the taxes levied under the present tax structure are not mutually exclusive. For example, if the goods are manufactured and sold by manufacturer, then both Central Excise and VAT are applicable.

Until the introduction of MODVAT (now CENVAT) Scheme in 1986 in respect of Central Excise Duty, duty was levied as origin based single point tax on manufacture of goods with some exceptions where set off scheme was used to

GST - A Boon for Indian Economy

reduce the cascading effect of taxes. CENVAT is only at manufacturing level and does not go up to retail level.

At State level, varieties of schemes were framed like origin based single point system (first point tax), multi-point system with set off, last point (retail level) system, and so on. This was, again, not uniform even within a State. States adopted different systems for different commodities too. Cascading effect at that time was reduced to a great extent with the use of declaration forms, though, that by itself was a complex system. With the introduction of State VAT, there is combination of origin based (Central Sales Tax) and destination based multipoint system of taxation.

Similarly, there was no Union level tax on services till the introduction of Service Tax in 1994 although, selective levy by the States on specified services like entertainment tax, is continuing. Service tax is currently charged on all the services except the services mentioned in the Negative List and specifically exempted from the service tax, although initially tax was charged on selected services. The VAT at Union (CENVAT) as well as State Level (VAT) is on goods only, except that at the Union level, there is input tax credit mechanism between CENVAT and Service Tax.

Shortcomings in the Present Structure and need of GST

(a) Tax Cascading

Tax cascading occurs under both Centre and State taxes. The most significant contributing factor to tax cascading is the partial coverage by Central and State taxes. Oil and gas production and mining, agriculture, real estate construction, infrastructure projects, wholesale and retail trade, and range of services remain outside the ambit of the CENVAT and the Service Tax levied by the Centre. The exempt sectors are not allowed to claim any credit for the CENVAT or the Service Tax paid on their inputs. Similarly, under the State VAT, no credits are allowed for the inputs to the exempted sectors, which include the entire service sector. Another major contributing factor to tax cascading is the Central Sales Tax (CST) on inter- State sales, collected by the Origin State for which no credit is allowed by any State Government.

(b) Levy of Excise Duty on manufacturing point

The CENVAT is levied on goods manufactured or produced in India. Limiting the tax to the point of manufacturing is a severe impediment to an efficient and neutral application of tax. Taxable event at manufacturing point itself forms narrow base. For example, valuation as per excise valuation rules of a product, whose consumer price is ₹ 100/-, is, say, ₹ 70/-. In such a case, excise duty as per the present provisions is payable only on ₹70/-, and not on ₹100/-. Further, definitional issues as to what constitutes manufacturing, and valuation issues for determining the value on which the tax is to be levied, are other concerns. However, these concepts have evolved through judicial rulings to a great extent.

(c) Complexity in determining the nature of transaction – Sale vs. Service

The distinctions between goods and services found in the Indian Constitution have become more complex. Today, goods, services, and other types of supplies are being packaged as composite bundles and offered for sale to consumers under a variety of supply-chain arrangements. Under the current division of taxation powers in the Constitution, neither the Centre nor the States can apply the tax to such bundles in a seamless manner. Each Government can tax only parts of the bundle, creating the possibility of gaps or overlaps in taxation. Example:- In case of Installation of AC(Air Conditioner) where a bundle of services are provided like wood and other material used for installation , VAT is charged on such material and on labour part service tax is applicable, but no value is defined separately. VAT and Service Tax are charged on percentage basis as defined by State and Central Govt.

(d) Inability of States to levy tax on services

Exclusion of services from the State taxation powers is its negative impact on the buoyancy of State tax revenues. With no powers to levy tax on incomes or the fastest growing components of consumer expenditures, the States have to rely almost exclusively on compliance improvements or rate increases for any buoyancy in their own-source revenues. Alternatives to assigning the taxation of services to the States include assigning to the States a share of the Central VAT (including the tax from services).

GST - A Boon for Indian Economy

(e) Lack of Uniformity in Provisions and Rates

Present VAT structure across the States lacks uniformity, which is not restricted only to the rates of tax, but also extends to procedures and, sometimes, to the definitions, computation and exemptions.

(f) Fixation of situs – Local Sale vs. Central Sale

Whether a sale takes place in one State or another, i.e. to fix the situs of a sale transaction, is the major conflict, as its taxability affects the revenue of the State. Though CST is a tax levied by the Central Government, it is collected and retained by the collecting State. Whether a transaction is a direct inter-State sale from State 'X' to the customer 'ABC' located in State 'Y'; or is a stock transfer from State 'X' to branch in State 'Y' first, and then a local sale to the customer'ABC' in the State 'Y', will have a bearing on the revenue of the State 'X' or State'Y', as the case may be.

A significant number of litigations pertain to this issue. Ultimately, the Central Government made provisions under the Central Sales Tax Act, 1956 and created a Central Appellate Authority to resolve such matters.

(g) Interpretational Issues

Another problem arises in respect of interpretation of various provisions and determining the category of the commodities. We find a significant number of litigation surrounding this issue only. To decide whether an activity is sale or works contract; sale or service, is not free from doubt in many cases.

(h) Narrow Base

The starting base for the CENVAT is narrow, and is being further eroded by a variety of area-specific and conditional exemptions. Earlier the service tax was applicable on selective services but after the implementation of Finance Act, 2012 the system of comprehensive taxation of services was implemented, while excluding few service by specifying them in "negative list". The complexities under the State VAT relate primarily to classification of goods to different tax rate Schedules. Theoretically, one might expect that the lower tax rates would be applied to basic necessities that are consumed largely by the poor. This is not the case under the State VAT. The lowest rate of 1% applies to precious metals and jewellery, and related products. The middle rate of 5% applies to selected basic necessities and also a range of industrial inputs and IT


Present Indirect Tax Structure of India

products. In fact, basic necessities fall into all three categories – exempted from tax, taxable at 5%, and taxable at the standard rate of 12.5%. Higher rate of 20% is also applicable mainly to petroleum products and liquor.

However, most retailers find it difficult to determine the tax rate applicable to a given item without referring to the legislative schedules. Consumers are even less aware of the tax applicable to various items.

(i) Complexities in Administration

Compounding the structural or design deficiencies of each of the taxes is the poor or archaic infrastructure for their administration. Taxpayer services, which are a lynchpin of a successful self-assessment system, are virtually non-existent or grossly inadequate under both Central and State administrations. Many of the administrative processes are still manual, not benefiting from the efficiencies of automation. All these not only increase the costs of compliance, but also undermine the revenue collection.



Chapter-2

What is GST and How It Works?

What is GST?

GST stands for "Goods and Services Tax", and is proposed to be a comprehensive indirect tax levy on manufacture, sale and consumption of goods as well as services at the national level. Its main objective is to consolidates all indirect tax levies into a single tax, except customs (excluding SAD) replacing multiple tax levies, overcoming the limitations of existing indirect tax structure, and creating efficiencies in tax administration.

One of the reasons to go the GST way is to facilitate seamless credit across the entire supply chain and across all States under a common tax base. The current framework allows limited inter-levy credits between CENVAT (tax on manufacture) and service tax. However, no cross credits are available across these taxes and the sales tax/VAT paid (on input) or payable (on output). Introduction of GST would thus rationalize the tax content in product price, enhance the ability of business entities to compete globally, and possibly trickle down to benefit the ultimate consumer.

Example: - A product whose base price is ₹100 and after levying excise duty @ 12% value of the product is ₹ 112. On sale of such goods VAT is levied @ 12.5% and value to the ultimate consumer is ₹ 126. In the proposed GST system on base price of ₹100 CGST and SGST both will be charged, say @ 8% each, then the value to the ultimate consumer is ₹ 116. So, in such a case the industry can better compete in global environment. Therefore, GST is a broad based and a single comprehensive tax levied on goods and services consumed in an economy. GST is levied at every stage of the production distribution chain with applicable set offs in respect of the tax remitted at previous stages. It is basically a tax on final consumption.

To put at a single place, GST may be defined as a tax on goods and services, which is leviable at each point of sale or provision of service, in which at the time of sale of goods or providing the services the seller or service provider may claim the input credit of tax which he has paid while purchasing the goods or procuring the service.

Internationally, GST is a single levy for all transactions related to goods and services. In India, however, currently the power to prescribe the taxation framework, and levy and collect taxes has been segregated between the Centre and States under the Constitution. For resolving disputes regarding GST, its implementation etc. a GST Council would be setup. Given this uniqueness, learnings of other countries cannot be directly implemented in India.

Illustration of GST [All parties are located in one State]

Assumptions: (1) Rate of Excise Duty - 12%; (2) VAT Rate - 14.5%; (3) Central GST Rate - 12%; (4) State GST Rate - 12%; (5) Profit Margin - ₹ 10,000/5,000/5,000 (before tax)

Particulars	Under VAT (₹)	Under GST (₹)		
(I) Manufacturer (D1) to Wholesaler (D2)	1 (3)	(-)		
Cost of Production	90,000	90,000		
Input Tax Credit (Assuming nil)	-	-		
Add : Profit Margin	10,000	10,000		
Producers Basic Price	1,00,000	1,00,000		
Add: Central Excise Duty @ 12%	12,000			
Add: Value Added Tax @ 14.5% on ₹ 1,12,000/-	16,240			
Add : Central GST @ 12%		12,000		
Add : State GST @ 12%		12,000		
Sale Price	1,28,240	1,24,000		
(II) Wholesaler (D2) to Retailer (D3)	(II) Wholesaler (D2) to Retailer (D3)			
Cost of Goods to D2	1,12,000	1,00,000		
Available Input Tax Credit for set off	16,240	24,000		
Add : Profit Margin	5,000	5,000		
Total	1,17,000	1,05,000		
Add: Value Added Tax @ 14.5%	16,965			
Add : Central GST @ 12%		12,600		
Add : State GST @ 12%		12,600		
Total Price to the Retailer	1,33,965	1,30,200		

GST - A Boon for Indian Economy

Particulars	Under VAT	Under GST
	(₹)	(₹)
(III) Retailer (D3) to Final Consumer (C)		
Cost of Goods to D3	1,17,000	1,05,000
Input Tax Credit	16,965	25,200
Add : Profit Margin	5,000	5,000
Total	1,22,000	1,10,000
Add: Value Added Tax @ 14.5%	17,690	
Add : Central GST @ 12%		13,200
Add : State GST @ 12%		13,200
Total Price to the Consumer	1,39,690	1,36,400
Total Tax Payable in All Transactions	29,690	26,400
Verification:- VAT @14.5% [139,690 * 14.5 / 114.5] = 17,690 + 12,000 (CENVAT) = 29,690		
D1 (12,000 + 16,240)	28,240	
D2 (16,965 - 16,240)	<i>725</i>	
D3 (17,690 - 16,965)	<i>725</i>	
Verification:- GST @ 24% [136400 *24 / 124] =26400		
D1 (12,000 + 12,000)		24,000
D2 (25,200 - 24,000)		1,200
D3 (26,400 - 25,200)		1,200

Note: As per the above illustration the major benefit to the consumer in the GST regime is that GST is charged always on producer basic price.

It is insignificant to ascertain who the gainer is in monetary terms – Government or the Consumer but certainly, GST is a better system which is self-disciplined. Moreover, the net impact would be marginal in most of the cases since the RNR (Revenue Neutral Rate) would be determined by the Government after taking the monetary impact into consideration.

Features of an Ideal GST


GST is a comprehensive value added tax on goods and services. It is levied and collected on value addition at each stage of sale or purchase of goods or supply

What is GST and How It Works?

of services based on input tax credit method but without State boundaries. There is no distinction between taxable goods and taxable services and they are taxed at a single rate in a supply chain of goods and services till the goods / services reach the consumer. The administrative power generally vests with a single authority to levy tax on goods and services. The main features of GST are as under:-

- (a) GST is based on the principle of value added tax and either "input tax method "or "subtraction" method, with emphasis on voluntary compliance and accounts based system.
- (b) It is a comprehensive levy and collection on both goods and services at the same rate with benefit of input tax credit or subtraction of value of penultimate transaction value.
- (c) Minimum number of floor rates of tax, generally, not exceeding two rates.
- (d) No scope for levy of cess, re-sale tax, additional tax, special tax, turnover tax etc.
- (e) No scope for multiple levy of tax on goods and services, such as, sales tax, entrytax,octroi, entertainment tax, luxury tax, etc.
- (f) Zero rating of exports and inter State sales of goods and supply of services.
- (g) Taxing of capital goods and inputs whether goods or services relatable to manufacture at lower rate, so as to reduce inventory carrying cost and cost of production
- (h) A common law and procedures throughout the country under a single administration.
- (i) GST is a destination based tax and levied at single point at the time of consumption of goods or services by the ultimate consumer.

GST - A Boon for Indian Economy



Revenue Neutral Rate

In the proposed GST regime, the revenue of the Government would not be the same in comparison with the present tax structure due to tax credit mechanism or otherwise. Therefore, an adjustment in tax rate is required to avoid reduction in revenue of the Government. Hence, the rate of tax will have to be suitably adjusted to ensure that tax revenue does not reduce. This rate is termed as 'Revenue Neutral rate' (RNR). It is the rate at which tax revenue remains the same despite giving credit of duty paid on inputs and other factors.

Success of GST would depend upon the RNR

The success of GST will largely depend on the determination of ideal rate at Central level as well as State level which should be acceptable to the public and revenue neutral to Government.

The golden rule for collection of tax is given by world's oldest economist Sage Kautilya alias Chanakya Muni more than 2000 years ago. He said that the King should collect tax from different persons as the humble bee collects honey from different flowers without making any harm to them. Thus, all efforts should be made to keep the GST rate as low as possible.


Elaborating on why the tax rates are lower in some countries, Dr. P. Shome said that voluntary compliance even by large corporations in India was not at the desirable level and that countries that had reduced VAT/GST rates have subsumed many taxes in that framework and tax structure was made linear by doing away with tax breaks.

Therefore, the GST rates would be fixed after ensuring that there would be no revenue loss from the proposed changes and a normal growth is maintained.

IT Strategy for GST

The broad IT plan for enabling GST was presented to the Government of India and the Empowered Committee of State Finance Ministers under the Chairmanship of Dr. Asim Dasgupta on July 21, 2010. The Empowered Group on IT Infrastructure on GST is headed by Shri Nandan Nilekani.

Without a well-designed and well-functioning IT system, the benefits of GST will remain elusive. It is important that the design and implementation of the GST IT systems start without any further delay, and consensus is achieved on the unresolved policy issues in the earliest possible timeframe. Some of the features of the GST Network are as follows:



GST - A Boon for Indian Economy

- Simplicity for taxpayers: The process of filing of tax returns and payment of tax should be simple and uniform and should be independent of taxpayer's location and size of business. In addition, the compliance process should not place any undue burden on the taxpayer and should be an integral part of his business process.
- Respect autonomy of states: The design of the IT system should respect the constitutional autonomy of the states. Several business processes will be re-engineered as a new IT system for GST is put into place. There should be no dilution of the autonomy of states as a result of the IT system, or the re-engineering. On the contrary, it should strengthen the autonomy of states. This is a key factor in the design of the IT system presented in the rest of this document.
- Uniformity of policy administration: The business processes surrounding GST need to be standardized. Uniformity of policy administration across states and centre will lead to a better taxpayer experience, and cut down costs of compliance as well as tax administration.
- Enable digitization and automation of the whole chain: All the
 business processes surrounding GST should be automated to the extent
 possible, and all documents processed electronically. This will lead to
 faster processing and reconciliation of tax information and enable risk
 based scrutiny by tax authorities. For small taxpayers, facilitation centres
 can be set up to ease the migration.
- Reduce leakages: A fully electronic GST can dramatically increase tax collections by reducing leakages. Tools such as matching the input tax credit, data mining and pattern detection will deter tax evasion and thus increase collections.
- Leverage existing investments: Existing IT investments of states should be leveraged. The Mission Mode Project on Commercial Tax should be aligned with the GST implementation going forward.

Following would be the stakeholders of GST Network:

- Taxpayers Small & Corporate
- State Tax Authorities

What is GST and How It Works?

- CBEC
- RBI
- Banks
- Other Authorities

The GST Network would support the following:

- Registrations
- Returns
- Challans
- Interstate transfer of Goods
- Refunds
- Audits
- Appeals
- Flow of Information between Authorities

Matter for GST IT Strategy extracted from: http://finmin.nic.in/gst/IT_Strategy_for_GST_ver0.85.pdf

Chapter 3 Benefits of GST

In India, the GST model will be "dual GST" having both Central and State GST component levied on the same base. All goods and services barring a few exceptions will be brought into the GST base. Importantly, there will be no distinction between goods and services for the purpose of the tax with common legislations applicable to both.

For Example, if a product have levy at a base price of ₹ 100 and rate of CGST and SGST are 8% then in such case both CGST and SGST will be charged on Rs 100 i.e. CGST will be Rs 8 and SGST will be ₹8. Interestingly, as per the recommendations of Joint Working Group (JWG) appointed by the Empowered Committee in May 2007, the GST in India may not have a dual VAT structure exactly but it will be a quadruple tax structure. It may have four components, namely –

- (a) a Central tax on goods extending up to the retail level;
- (b) a Central tax on service;
- (c) a State-VAT on goods; and
- (d) a State-VAT on services

The Economic Survey 2008-09 recommended the Government to implement the goods and services tax (GST) throughout the country as a part of continuing fiscal reforms, while favouring a dual GST structure to be levied concurrently by both the Centre and State. Citing the recommendation on a dual GST by the empowered committee of State Finance Ministers, the survey said a dual GST strikes a good balance between Centre and State fiscal autonomy, along with eliminating tax cascading.

"It empowers both levels of Government to apply the tax to a comprehensive base of goods and services, at all points in the supply chain. It also eliminates tax cascading, which occurs because of truncated or partial application of the Centre and State taxes," said the survey.

Despite improvements in the country's tax design and administration over the past few years, the systems at both Central and State levels are still complex,

said the survey. The complexities, it says, are policy related and also due to the present system of multiple rates and exemptions at State and Centre level. The survey noted that deficiencies in CENVAT (Central value added tax) and service tax are grave and need to be looked at. For instance, CENVAT's already narrowed base is being further eroded by a variety of area-specific exemptions. "The introduction of GST would thus be opportune for deepening the reform process already underway," the survey said.

GST will create a single, unified Indian market to make the economy stronger. In totality GST will benefit the Government as well as the consumers in the long run thus creating a win-win situation for both. Some of the benefits of GST are enlisted as follows:

(a) Abolition of multiple layer of taxes

Implementation of GST in India will integrate the existing line of taxes like Central Excise, Service Tax, Sales Tax, Value Added Tax etc. into one tax i.e. GST. This will help avoiding multiple taxes currently being levied on products and services. For Example in case of Restaurant Services we end up paying both Service tax and VAT making taxable amount approximately 140% for the total amount (VAT on 100% Value and Service Tax on abated 40% Value).

(b) Mitigation of Cascading Taxation

Under the GST regime the final Tax would be paid by the Consumer of the goods/ services but there would be an input tax credit system in place to ensure that there is no cascading of taxes. GST would be levied only on the value added at every stage unlike the present scenario wherein Tax is also required to be paid on Tax in few cases i.e. VAT is payable on Excise duty.

(c) Development of Common National Market

GST would introduce a uniform taxation law across states and different sectors in respect to indirect taxes which would make it easier to supply goods and services hassle free across the country. This will help in removing economic distortions, promote exports and bring about development of a common national market. This will definitely give a boost to India's tax-to-gross domestic product ratio and thus help in promoting economic efficiency and sustainable long term economic growth.

(d) Increase in Voluntary Compliance

Under GST regime, the process will be simple and articulate with a lesser scope

GST - A Boon for Indian Economy

for errors. As all the information will flow through the common GST network it would make tax payment and compliances a regular norm with lesser scope for mistakes. It will only be upon the payment of tax, the consumer will get credit for the taxes they pay on inputs. This will generate an automatic audit trail of value addition and income across the production chain, creating a unified base of tax potential that can be tapped. Thus GST model will do away the need of the current patchwork of indirect taxes that are fractional.

(e) Reduced Litigation


Taxation under GST would reduce litigation on account of clarity regarding the jurisdiction of taxation as against the present structure where there still exists an uncertainty regarding jurisdiction of taxation by Centre and State in few cases like in case of Software, Right to use of Goods etc. In GST Regime, with a single tax law in place, there would be smooth assessments as compared to the present multiple assessments in different tax laws.

(f) Efficient Administration by Government

Presently, on account of multiplicity of taxes and there cascading effects, lack of integrated network, the administration of indirect taxes is a mammoth task for the government which also adds to the compliance & administration costs. Under proposed GST regime, with unified tax rate, simple input tax credit mechanism and integrated GST Network, information would be readily available and administration of resources would be easy and efficient for the Government. There would be a single tax, reduced errors and litigations thus resulting in reduced administration costs too.

(g) Will act as a Tax Booster for Government

With a wider tax base, minimum floor rates, facility of seamless credit the Goods & Services Tax would prove to be an efficient tax booster for the Government. With ease of compliance and integrated network data tax collection would be much easier for the government



Chapter 4

Present Tax Structure v/s GST – A Comparative Study

The proposed GST regime focuses upon integration of the existing tax system and creates a unified tax structure. While the present form of taxation is multi-layered, the same would be subsumed into one under the GST regime. GST is broader based, unified and beneficial in terms of implementation and applicability.

Below is a table comparing various features of GST *viz a viz* Present Tax Structure:

S.N.	Particulars	Present Structure	GST (Expected)
1.	Structural Difference	 Two separate VAT systems operate simultaneously at two levels, Centre and State, and tax paid (input tax credit) under one is not available as set off against the other Tax on services is levied under separate legislation by Centre No comprehensive taxation of services at the State level; few services are taxed under separate enactments Imports in India are not subjected to State VAT 	A dual tax with both Central GST (CGST) & State GST (SGST) levied on the same base. Thus, all goods and services, barring a few exceptions, will be brought into the GST base. There will be no distinction between goods and services for the purpose of tax with a common legislation applicable to both It allows seamless tax credit amongst Excise Duty, Service Tax & VAT

Present Tax Structure v/s GST - A Comparative Study

S.N.	Particulars	Present Structure	GST (Expected)
2.	Place of Taxation	Taxable at the place of sale of goods or rendering of service	It is consumption (destination) based tax
3.	Excise Duty	Imposed by Centre under separate Act; Taxable event: Manufacture; Taxed up to manufacturing point	To be subsumed in CGST; Taxable event : Sale; To be taxed up to retail level
4.	Basic Customs Duty	Imposed by Centre, under separate Act; Taxable event: Import	- No Change -
5.	CVD/SAD	Imposed by Centre under separate Act; Taxable event: Import	To be subsumed in CGST; Taxable event : Import
6.	Service Tax	Imposed by Centre under separate Act; Taxable event: Provision of Service	To be subsumed in CGST & SGST ; Taxable event : Provision of Service
7.	Central Sales Tax	Imposed by Centre under CST Act; Collection assigned to States; Taxable event : Movement of goods from one State to another	To be phased out
8.	State VAT	Imposed by States; Taxable event : Sale within the State	To be subsumed in SGST; Taxable event : Sale within State
9.	Inter-State Transactions	Goods & Services : Imposed by the Centre	To be subsumed in GST & subject to IGST
10.	Powers to levy Tax on Manufacture	As Excise Duty (CENVAT) :Centre	No such powers in GST

GST - A Boon for Indian Economy

S.N.	Particulars	Present Structure	GST (Expected)
11.	Powers to levy Tax on Sale of Goods	Inter-State: CentreLocal: State	Concurrent powers to Centre & State
12.	Powers to levy Tax on Provision of Services	Centre	Concurrent powers to Centre & State;
13.	Tax on Import in India	 Goods : Under Customs Duty (comprises Basic Customs Duty, CVD & SAD); Services : Under Service Tax 	 Basic Custom Duty on goods: No Change; CVD & SAD on import of goods and import of services: To be subsumed in GST
14.	Tax on Export of Goods & Services	Exempt/Zero-rated	- No Change -
15.	Tax on inter-State Transfer of Goods to Branch or Agent	Exempt against Form F	To be taxable
16.	Cascading Effect	Allows tax credit between Excise Duty& Service Tax, but not with VAT	Allows seamless tax credit amongst Excise Duty, Service Tax & VAT
17.	Non-Creditable Goods	Exists	Might exist
18.	Credit on Inputs used for Exempted Activities	Not allowed	Will not be allowed
19.	Various Exemptions – Excise Free Zone or VAT Exemption	Exists	Will go in a phased manner

Present Tax Structure v/s GST - A Comparative Study

S.N.	Particulars	Present Structure	GST (Expected)
20.	Exemption for transit Inter-State Sale and High Seas Sale	Exists	Might be taxable
21.	Transactions against Declaration Forms	Exists under the CST Act	Forms will be abolished
22.	Taxation on Govt. and Non-Profit Public Bodies	Partially taxed	Might not Change
23.	Tax Base	Comparatively, Narrow	Wider
24.	Excise Duty – Threshold Limit	₹ 1.5 crores	₹ 10 lacs to ₹ 20 lacs
25.	VAT - Threshold Limit	₹ 5 lacs to ₹ 10 lacs	₹ 10 lacs to ₹ 20 lacs
26.	Service Tax - Threshold Limit	₹ 10 lacs	₹ 10 lacs to ₹ 20 lacs
27.	Classification of Commodities	- Excise Duty : HSN; - VAT : None	HSN
28.	VAT/GST Regis- tration Number	Simple TIN (some States : PAN based)	PAN based number
29.	Procedures for Collection of Tax and Filing of Return	CENVAT & Service Tax: Uniform VAT : Vary from State to State	Will be uniform
30.	Use of Computer Network	Just started by the States; very minimum	Extensive; It is necessity for implementation of GST
31.	Nature of Present Litigations	a. Sale <i>vs.</i> Serviceb. Classification of goods	Will be reduced

GST – A Boon for Indian Economy

S.N.	Particulars	Present Structure	GST (Expected)
		c. <i>Situs</i> issue : between States	
		d. Interpretation of provisions	
		e. Sale <i>vs.</i> Works Contract	
		f. Valuation of Composite Transactions, etc.	

Probable Taxes to be subsumed in GST

Central Excise Duites					
Additional Duties of Excise					
CVD, SAD & other domestic taxes on imports					
Service Tax					
Central Sales Tax					
Value Added Tax					
Purchase Tax					
Entertainment & Luxury Tax					
Octroi & Entry Tax in lieu of Octroi					
Taxes on Lottery, Betting & Gambling					

Probable Taxes NOT to be subsumed in GST

Basic Customs Duty					
Excise Duty on Tobacco Products					
Export Duties					
Specific Cesses					
Taxes on Liquors					
Toll Tax					
Environment Tax					
Property Tax					

Chapter 5 Illustrations to Showcase Benefits of GST

In this chapter we will understand, with the help of some illustrations, how GST will benefit the consumers eventually:

Illustration 1: Intra State (within the state) Trading of Goods

Particulars		Present Scenario (₹)	Particul	lars	GST Scenario (₹)
Input Manufacturer			Input Manufacturer		
Cost	90		Cost	90	
Margin	10		Margin	10	
Value		100	Value		100
Excise @ 10%		10	CGST@ 10%		10
VAT @ 10%		11	SGST @ 10%		10
Total		121	Total		120
Output Manufacturer			Output Manufacturer		
Cost	100		Cost	100	
Margin	20		Margin	20	
Value		120	Value		120
Excise @ 10%	12	12	CGST@ 10%	12	12
CENVAT Credit	(10)		Input Tax Credit	10	
Total Excise Paid	2		Total CGST Paid	2	
VAT @ 10%	13.2	13.2	SGST @ 10%	12	12
Input Tax Credit	(11)		Input Tax Credit	10	

Illustrations to Showcase Benefits of GST

Total VAT	2.2		Total SGST	2	
Paid			Paid		
Total		145.2	Total		144
	Dealer	1	,	Dealer	
Cost	132		Cost	120	
Margin	10		Margin	10	
Value		142	Value		130
VAT @ 10%	14.2	14.2	CGST@ 10%	13	13
Input Tax Credit	13.20		Input Tax Credit	12	
Total VAT paid	1		Total CGST Paid	1	
			SGST @ 10%	13	13
			Input Tax Credit	12	
			Total SGST Paid	1	
Total Amount paid by Customer		156.2	Total Amount paid by Customer		156
Total Tax Paid by Customer		26.20	Total Tax Paid by Customer		26
Total Tax paid to Centre		12.00	Total Tax paid to Centre		13
Total Tax paid to State		14.20	Total Tax paid to State		13

Thus it is evident from the illustration that the consumer is required to pay a lesser amount and tax during the course of sale of goods within the state. The Net benefit ensued by GST will permeate to the End Consumer; benefitting all the parties down the line.

GST - A Boon for Indian Economy

Illustration 2: Inter State (outside the state) Trading of Goods

Particul	ars	Present Scenario (₹)	Particulars		GST Scenario (₹)
Input Manufacturer		In	Input Manufacturer		
Cost	90		Cost	90	
Margin	10		Margin	10	
Value		100	Value		100
Excise @ 10%		10	CGST@ 10%		10
VAT @ 10%		11	SGST @ 10%		10
Total		121	Total		120
Output	Manufac	turer	Ou	ıtput Manufacturei	-
Cost	100		Cost	100	
Margin	20		Margin	20	
Value		120	Value		120
Excise @ 10%	12	12	IGST@ 20%	24	24
CENVAT Credit	(10)		Input Tax Credit (CGST + SGST)	20	
Total Excise Paid	2		Total IGST Paid	4	
CST @ 2%	2.64	2.64	Additional Tax @ 1%	1.2	1.2
Input Tax Credit	(2.64)				
VAT Refund Claim	(8.36)				
Total VAT Paid	0.00				

Illustrations to Showcase Benefits of GST

Total		134.64	Total		145.2
Dealer	•		Dealer		
Cost	138.24		Cost	121.2	
Entry Tax	3.60		Entry Tax	Nil	
Margin	10		Margin	10	
Value		148.24	Value		131.2
VAT @ 10%	14.82	14.82	CGST@ 10%	13.12	13.12
Total VAT paid	14.82		Input Tax Credit	13.12	
			Total CGST Paid	0	
			SGST @ 10%	13.12	13.12
			Input Tax Credit – IGST	10.88	
			Total SGST Paid	2.24	
Total Amount paid by Customer		163.06	Total Amount paid by Customer		157.44
Total Tax Paid by Customer		30.42	Total Tax Paid by Customer		26.24
Total Tax paid to Centre		12.00	Total Tax paid to Centre	(10+10+4- 10.88)	13.12
Total Tax paid to State		18.42	Total Tax paid to State	(10- 10+2.24+10.88+ 1.2)	14.32

GST – A Boon for Indian Economy

Illustration 3: Intra State (within the state) Trading of Services

Particulars		Present Scenario (₹)	Particulars		GST Scenario (₹)
Input Service I	Provider		Input Service Provider		
Cost	90		Cost	90	
Margin	10		Margin	10	
Value		100	Value		100
Service Tax @ 10%		10	CGST@ 10%		10
			SGST @ 10%		10
Total		110	Total		120
Output Service	e Providei	r	Output Service Provider		
Cost	100		Cost	100	
Margin	20		Margin	20	
Value		120	Value		120
Service Tax @ 10%	12	12	CGST@ 10%	12	12
CENVAT Credit	(10)		Input Tax Credit	10	
Total Service Tax Paid	2		Total CGST Paid	2	
			SGST @ 10%	12	12
			Input Tax Credit	10	
			Total SGST Paid	2	
Total		132	Total		144
Total Amount paid by Customer		132	Total Amount paid by Customer		144

Illustrations to Showcase Benefits of GST

Total Tax Paid by Customer	12	Total Tax Paid by Customer	24
Total Tax paid to Centre	12	Total Tax paid to Centre	12
Total Tax paid to State	0	Total Tax paid to State	12

Illustration 4: Inter State (outside the state) Trading of Services

Particulars		Present Scenario (₹)	Particulars		GST Scenario (₹)
Input Service Pro	ovider		Input Service Pro	ovider	
Cost	90		Cost	90	
Margin	10		Margin	10	
Value		100	Value		100
Service Tax @ 10%		10	CGST@ 10%		10
			SGST @ 10%		10
Total		110	Total		120
Output Service F	Provide.	r	Output Service P	rovider	
Cost	100		Cost	100	
Margin	20		Margin	20	
Value		120	Value		120
Service Tax @ 10%	12	12	IGST@ 20%	24	24
CENVAT Credit	(10)		Input Tax Credit (CGST + SGST)	20	
Total Service Tax Paid	2		Total IGST Paid	4	
Total		132	Total		144

GST - A Boon for Indian Economy

Agent			Dealer		
Cost	132		Cost	120	
Margin	10		Margin	10	
Value		142	Value		130
Service Tax @ 10%	14.2	14.2	CGST@ 10%	13	13
CENVAT Credit	(12)		Input Tax Credit	13	
Total Service Tax paid	2.2		Total CGST Paid	0	
			SGST @ 10%	13	13
			Input Tax Credit - IGST	11	
			Total SGST Paid	2	
Total Amount paid by Customer		156.2	Total Amount paid by Customer		156
Total Tax Paid by Customer		14.2	Total Tax Paid by Customer		26
Total Tax paid to Centre		14.20	Total Tax paid to Centre	(10+4+10*- 11)	13
Total Tax paid to State		0	Total Tax paid to State	(10+2-10+ 11**)	13

^{*} State 1 will transfer SGST used for payment of IGST to Centre

Benefits of GST to the Central Government

As far as services are concerned, the Central Government will be in a neutral state with regards to taxes. However, in case of Trading of Goods, the Central Government will gain from the taxes levied under GST as CGST will be levied at every stage of a transaction unlike the excise duty which is only levied at the event of manufacture of goods. The same has been explained in the example cited earlier.

^{**}Centre will transfer IGST used for payment of SGST to State 2

Benefits of GST to the States

Introduction of GST is going to benefit the States also. We can understand the same with the help of an example. Let us suppose in State A the service provider provides a service valuing ₹ 1,00,000 on which he pays 12% CGST and 12% SGST. Thus the State gains ₹ 12,000 on account of SGST. As per 14th Report of Finance Commission 42% of Centres earnings are to be allocated to States. Let us suppose the share of State A is 10% of the same. Now the total state earning calculation goes as follows:

Particulars	Present S	Scenario	GST Se	cenario
	(₹)	(₹)	
	Centre's Share	States Share	Centre's Share	States Share
Service Tax @ 12% Received on Services	12,000	-	-	-
CGST Received on Services	-	-	12,000	-
SGST Received on Services	-	-	-	12,000
Total Share of all the States @ 42% - 14 th Fin. Comm. Report	-	5,040	-	5,040
Share of State A @ 10%		504		504
Total Earnings of State A	-	504		12,504
Total Earnings of Centre	12,000	-	12,000	-

Hence, initially as it may appear, states would be losing out due to abolition of Entry Tax, Octroietc. but it is not so. The states in addition to tax on services will get 1% additional tax on interstate transaction of goods. Over and above this the Centre has taken upon itself to compensate the loss faced by any state for initial 5 year period. Thus, with such initiatives, it has been ensured that the States revenues are kept intact under GST Regime.

Chapter 6 GST in Other Countries

1. GST/HST in Canada

The goods and services tax (GST) is a tax that applies to the supply of most goods and services in Canada. Three provinces (Nova Scotia, New Brunswick, and Newfoundland and Labrador, referred to as the participating provinces) harmonized their provincial sales tax with the GST to create the harmonized sales tax (HST). The HST applies to the same base of taxable goods and services as the GST.

Effective from January 1, 2008, the GST rate was reduced from 6% to 5%, and the HST rate from 14% to 13%.

Almost everyone has to pay GST/HST on purchase of taxable supplies of goods and services (other than zero-rated supplies). Some sales and supplies are exempt from GST/HST.

Although the consumer pays the tax, businesses are generally responsible for collecting and remitting it to the government. Businesses that are required to have a GST/HST registration number are called registrants.

Registrants collect the GST/HST on most of their sales and pay the GST/HST on most purchases they make to operate their business. They can claim a credit, called an input tax credit (ITC), to recover the GST/HST they paid or owe on the purchases they use in their commercial activities.

Taxable supplies: Taxable supplies refer to supplies of goods and services that are provided in the course of a commercial activity and are subject to GST/HST, or are 0% (zero-rated).

Zero-rated supplies: Zero-rated supplies refer to a limited number of goods and services that are taxable at the rate of 0%. This means there is no GST/HST charged on the supply of these goods and services, but GST/HST registrants can claim an ITC for the GST/HST they pay or owe on purchases and expenses made to provide them.

Exempt supplies: Exempt supplies are goods and services that are not subject to GST/HST. Registrants cannot claim input tax credits to recover the GST/HST they pay or owe on expenses related to such supplies.

What is HST?

Three provinces - Nova Scotia, New Brunswick and Newfoundland and Labrador - harmonized their provincial sales tax with GST to create HST. These three provinces are known as participating provinces. Effective from January 1, 2008, the GST rate was reduced from 6% to 5%, and the HST rate from 14% to 13%.

The HST is composed of the GST and the 8% provincial tax and applies to the same base of goods and services that are taxable under GST. HST follows the same general rules as GST.

GST/HST registrants continue to collect GST on taxable supplies (other than zero-rated supplies) of goods and services made in Canada outside the participating provinces. On supplies made within the participating provinces, they collect HST. All GST registrants are automatically registered for HST.

[Source: http://www.cra-arc.gc.ca]

2. Australian GST

In Australia, the GST is a broad-based tax of 10% on most goods and services. In most cases, GST is included in the price which is paid. Only registered business entities are entitled to a tax credit. The effect of this provision is that consumers are not reimbursed for the GST paid on purchased goods and services.

Most food items, including meat, fruit and vegetables, are GST-free. However, some food and beverages have been included in GST — for example, prepared food, takeaway food, restaurant meals, confectionery, ice cream, snack foods, alcoholic beverages and soft drinks. Other GST-free items include most education and health services, eligible child care, and a range of other goods and services.

Supply

A sale in GST terms is referred to as a "supply". The definition of supply has been drafted very widely to cover most receipts so that all revenue of business is subject to GST. A supply includes: -

- Supplying goods
- Providing services

GST - A Boon for Indian Economy

- Providing advice or information.
- Granting, assigning or surrendering real property.
- Creating, granting, transferring, assigning or surrendering any right.
- Financial services.
- Entering into an obligation to do something, refrain from doing something, or to tolerate something, or releasing someone from such an obligation.
- Any combination of these, that involves value (money, or goods/services, or in-kind) changing hands is a supply for GST purposes.

Categories of Supplies

There are three types of GST sale or supply:

- Taxable supplies
- GST-free supplies
- Input taxed supplies

It is important to mention that collection and payment of GST or entitlement to claim GST credits depends upon the category of sales/ supply, as foretasted.

Taxable Supplies

It means supplies of goods and services, connected with Australia, made by registered persons or entities, for consideration. Entities that are registered for GST must charge GST on their taxable supplies, and will be entitled to input tax credits on the GST they have paid on purchases to make those supplies. Such entities which are not registered for GST cannot charge GST on their invoices.

A taxable supply specifically excludes supplies that are GST-free and supplies that are input taxed. The main elements, which must exist in order for the supply to be a taxable supply, are:

- Supply must be for consideration
- Supply must be made in the course of or furtherance of an enterprise
- Supply must be connected with Australia
- The supplier must be registered or required to be registered for GST.

Therefore, a taxable supply is:

- a supply made for consideration
- in the course and furtherance of an enterprise,
- of a registered entity
- And the supply is connected with Australia.

Unless the supply is -

- GST-free
- Input-Taxes.
- outside the scope

GST-Free Supplies

GST is not charged, or payable on GST-Free supplies. The major categories of GST-free supplies are:

- Child care
- Exports (goods and services)
- Religious services
- Non commercial activities of charitable institution
- Raffles and bingo conducted by charitable institutions
- Water, sewerage and drainage
- Overseas transport
- Sale of a continuing business
- Grants of freehold or similar interests by Governments
- Certain farmland
- Cars for use by disabled people
- International mail
- Certain transitional arrangements

GST - A Boon for Indian Economy

Input Taxed Supplies

If a person provides input taxed suppliers, GST is not charged to the purchaser, and the seller is unable to claim any input tax credit for GST paid on purchases made for the input taxed supply. The major categories of input taxed supplies are:

- Residential rents
- Certain residential premises
- Financial Services such as interest, loans, dealings in shares Superannuation, life insurance and other financial instruments.

Collecting and claiming GST on different types of sales

Type of sale	Whether to collect	Whether to claim GST	
	GST?	credits?	
Taxable	Yes	Yes	
GST-free	No	Yes	
Input taxed	No	No	

Out of Scope Supplies

All supplies do not fall into the three categories listed above. Some supplies will be outside the scope of reporting as far as GST is concerned if they do not meet one of the tests outlined for a taxable supply.

Examples of transactions outside the scope of GST include: -

- supplies made by unregistered persons
- supplies made for no consideration
- payments of certain Government taxes and charges
- unconditional grants and donations (no supply is made in these circumstances by the recipient of the grant/donation)
- Salaries and wages.

GST will not be included in the price of supplies outside the scope of GST. However, if a person is registered for GST purposes, he will be entitled to claim input tax credits for GST included in the price of things acquired for the purpose of making these types of supply.

3. Indirect Tax in U.K.

In U.K., the indirect tax structure comprises excise duty as well as VAT. However, the scope of excise duty is restricted to limited commodities.

Excise duties are charged on certain goods, such as, motor fuel, alcohol, tobacco, betting and vehicles. Taxable event in case of excise duty is manufacture of goods.

Value Added Tax (VAT) is a tax that is charged on most goods and services that VAT-registered businesses provide in the UK. It is also charged on goods and some services that are imported from countries outside the European Union (EU), and brought into the UK from other EU countries.

VAT is charged when a VAT-registered business sells to either another business or to a non-business customer. When VAT-registered businesses buy goods or services, they can generally reclaim the VAT they have paid.

There are three rates of VAT, depending on the goods or services the business provides. The rates are: -

- Standard 15 %
- Reduced 5 %
- Zero 0 %

There are also some goods and services that are: -

- exempt from VAT, or
- Outside the UK VAT system altogether.

VAT is a tax that is charged on most business transactions in the UK. Businesses add VAT to the price they charge when they provide goods and services to: -

- business customers for example a clothing manufacturer adds VAT to the prices they charge a clothes shop;
- Non-business customers members of the public or 'consumers' for example a hair-dressing salon includes VAT in the prices they charge members of the public.

If a person is a VAT-registered business, in most cases, he: -

charges VAT on the goods and services he provides

GST - A Boon for Indian Economy

 Reclaims the VAT he pays when he buys goods and services for his business.

If he is not a VAT-registered business or organization, then he cannot reclaim the VAT he pays when he purchases goods and services.

If he is VAT-registered, the VAT he adds to the sale price of his goods or services is called his 'output tax'. The VAT he pays, when he buys goods and services for his business, is called his 'input tax'.

4. GST in Singapore

In Singapore, Goods and Services Tax (GST) is a tax on domestic consumption. The tax is paid when money is spent on goods or services, including imports. It is a multi-stage tax which is collected at every stage of the production and distribution chain.

"Output tax" is the GST a registered trader charges on his local supplies of goods and services. The tax is collected by him on behalf of the Comptroller of GST. "Input tax" is the GST that the trader has paid on purchases of goods and services for the purpose of his business. The input tax is deductible from output tax to arrive at the GST payable by the trader, or amount to be refunded to him.

Overview of Singapore GST

GST was first introduced in Singapore on 1st April 1994 at 3%. The GST rate was increased to 4% in 2003 and to 5% in 2004. As announced in Budget 2007, the GST rate was raised to 7% in 2007.

GST is levied on:

- goods and services supplied in Singapore by any taxable person in the course or furtherance of a business; and
- goods imported into Singapore by any person.

In general, a supply is either taxable or exempt. A taxable supply is one that is standard-rated or zero-rated. Only a standard-rated supply is liable to GST at 7%.

Zero-rating a supply means applying GST at 0% for the transaction. A GST registered trader need not charge GST on his zero-rated supplies, but he is,

nevertheless, allowed a refund of the tax he has paid on his inputs. In Singapore, only "export" of goods and "international" services are zero-rated.

If a supply is exempt from GST, no tax is chargeable on it. A GST registered trader does not charge his customer any GST on his exempt supplies. At the same time, he is not entitled to claim input tax credits for any GST paid on goods and services supplied to him for the purpose of his business. The "sale and lease of residential properties" and "financial services" are exempt from GST in Singapore.

[Source: http://www.mof.gov.sg]

वस्तु तथा सेवा कर भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वरदान

(अवधारणा तथा लाभ)

विषय-वस्तु


1.	भारत में वर्तमान अप्रत्यक्ष कर सरंचना	43
2.	वस्तु तथा सेवा कर (GST) क्या है तथा यह कैसे कार्य करता है	49
3.	वस्तु तथा सेवा कर का लाभ	59
4.	वर्तमान कर सरचना बनाम वस्तु तथा सेवा कर —	
	एक तुलनात्मक अध्ययन	63
5.	वस्तु तथा सेवा कर का लाभ दर्शाने के लिए उदाहरण	70
6.	अन्य देशो में वस्तु तथा सेवा कर	80

अध्याय 1

भारत में वर्तमान अप्रत्यक्ष कर सरंचना

भारत में अप्रत्यक्ष कर संरचना बहुमुखी तथा परतदार है। वर्तमान में वस्तु तथा सेवा के कराधान का दोहरा सिस्टम है। वस्तु तथा सेवा पर कर को सीमित क्रास-लेवी सेट ऑफ के साथ क्रमशः वस्तु तथा सेवा के कराधान के लिए इनपुट कर क्रेडिट यंत्रीकरण के साथ मूल्य संवर्द्धन सिद्धांत के साथ वसुला जाता है।

वर्तमान कर सरंचना को सही ढंग से निम्न चार्ट से वर्णित किया जा सकता है:



यह **नोट** करना महत्वपूर्ण है कि वर्तमान कर सरंचना के अन्तर्गत लगाया जाने वाले कर पारस्परिक रूप से एकातिक नहीं है। उदाहरण के लिए, यदि निर्माता द्वारा वस्तु का निर्माण तथा वस्तु को बेचा जाता है, तब दोनों केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा वेट लगेगा।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के संबंध में 1986 में मोड वेट (MODVAT) (अब सेनवेट) की प्रस्तुति होने तक, शुल्क को कुछ अपवाद के साथ ''वस्तुओं के निर्माण'' पर मूल आधारित एकल बिन्दु कर के रूप में लगाया जाता है जहां पर सेट ऑफ योजना को कर के सोपानी (Cascading) प्रभाव को कम करने के लिए प्रयुक्त किया जाता था। सेनवेट केवल निर्माण स्तर पर है तथा यह ख़ुदरा स्तर पर नहीं लगता।

राज्य स्तर पर, योजना के कई प्रकार बनाए गए जैसे उद्गम आधारित एकल बिन्दु सिस्टम (प्रथम बिन्दु कर), सेट ऑफ के साथ बहु बिन्दु सिस्टम, अंतिम बिन्दु (खुदरा स्तर) सिस्टम इत्यादि। यह फिर भी एक ही राज्य में समान नहीं है। राज्यों ने विभिन्न वस्तुओं के लिए विभिन्न सिस्टम को अपनाया। उस समय सोपानी (Cascading) प्रभाव को काफी हद तक घोषणा फार्म के उपयोग द्वारा कम किया गया। यद्यपि यह स्वयं में काफी जटिल सिस्टम था। राज्य वेट के आने की वजह से अब भारतीय अर्थव्यवस्था में दो तरह के कराधान सिस्टम का समन्वय है, (1) उद्गम आधारित (केन्द्रीय बिक्री कर) तथा (2) गंतव्य आधारित बहुबिन्दु कर।

इसी प्रकार, 1994 में सेवा कर की प्रस्तुति तक सेवा पर एक स्तर का कर नही था, यद्यपि, राज्यों द्वारा विशिष्ट सेवा जैसे मनोरंजन कर पर कर का लगाना जारी है। सेवा कर को वर्तमान में, सेवा कर से विशेष रूप से विमुक्त तथा नकारात्मक सूची में वर्जित सेवा को छोडकर सभी सेवा पर वसुला जाता है, यद्यपि आरंभ में कर को चयनित सेवा पर वसुला जाता था। सेनवेट तथा राज्य स्तर (वेट) केवल वस्तु पर था। सेनवेट तथा सेवा कर के मध्य इनपुट कर क्रेडिट यंत्रीकरण है।

वर्तमान संरचना में किमयाँ तथा वस्तु तथा सेवा कर (GST) की आवश्यकता

(a) कर का सोपानी प्रभाव (Cascading)

कर का सोपानी प्रभाव (Cascading) दोनो केन्द्र तथा राज्य कर में उत्पन्न होता है। कर के सोपानी प्रभाव का महत्वपूर्ण अंशदान कारक केन्द्रीय तथा राज्य कर के द्वारा आंशिक कवरेज है। तेल तथा गैस उत्पादन तथा खनन्, कृषि, भु सम्पदा निर्माण, अधोसरंचना परियोजना, थोक तथा खुदरा व्यापार तथा कई सेवाएँ केन्द्र द्वारा रोपित सेनवेट तथा

सेवा कर की परिधि से बाहर रहती है। विमुक्त क्षेत्र को सेनवेट अथवा इनपुट पर भुगतान किए हुए सेवा कर के लिए क्रेडिट का दावा करने की आज्ञा नहीं हैं। इसी प्रकार, राज्य वेट के अन्तर्गत विमुक्त क्षेत्र के इनपुट के लिए किसी क्रेडिट की आज्ञा नहीं है जिसमें समस्त सेवा क्षेत्र सम्मिलित हैं। कर के सोपानी प्रभाव (Cascading) का एक अन्य प्रमुख अंशदान कारक है उद्गम राज्य के द्वारा अन्तराज्य बिक्री पर एकत्रित केन्द्रीय बिक्री कर, जिसके लिए किसी राज्य सरकार द्वारा किसी क्रेडिट की आज्ञा नहीं है।

(b) निर्माणी बिन्दु पर उत्पाद शुल्क का करारोपण

सेनवेट को भारत में उत्पादित अथवा निर्मित वस्तुओं पर लगाया जाता है। निर्माण के बिन्दु तक कर को सीमित करना, कर को कुशल तथा तटस्थ तरीके से लागू करने के लिए एक बाधा है। निर्माणी बिन्दु पर करयोग्य घटना स्वंय में एक संकीर्ण आधार बनाता है। उदाहरण के लिए, एक उत्पाद के उत्पाद मूल्यांकन नियम के अनुसार, मुल्यांकन 70 है। उत्पाद की उपभोक्ता के लिए कीमत ` 100 है। इस प्रकार के मामले में, वर्तमान प्रावधान के अनुसार उत्पाद शुल्क केवल ` 70 पर भुगतान योग्य है नािक ` 100 पर। आगे, परिभाषात्मक मुद्दे जैसे निर्माण क्या है तथा मूल्य जिस पर कर को रोिपत किया जायेगा के लिए मूल्यांकन मुद्दे अन्य चिंता के विषय हैं। यद्यपि, यह अवधारणा काफी हद तक न्यायिक निर्णय के जिरये विकसित हुई है।

(c) सौदे की प्रकृति के निर्धारण में जटिलता — बिक्री बनाम सेवा

भारतीय संविधान में पाई जाने वाली वस्तु तथा सेवा के मध्य अंतर अधिक जिटल बन गया है। आज, वस्तु, सेवा तथा आपुर्ति को एक प्रकार से सिम्मिलित बंडल के रूप में तैयार किया जाता है तथा उपभोक्ता को आपूर्ति-शृंखला व्यवस्था के विभिन्न प्रकारों के अन्तर्गत उपभोक्ता को बिक्री के लिए प्रस्तुत किया जाता है। संविधान में कराधान अधिकार के वर्तमान विभाजन में, ना ही केन्द्र और ना ही राज्य इन बंडल पर निर्बाध तरीके से कर को लागू कर सकते हैं। प्रत्येक राज्य बंडल के केवल कुछ भाग पर ही कर लगा सकती है जिससे कराधान में अन्तर रहने अथवा अधिकापत (overlap) होने की संभावना उत्पन्न होती है। उदाहरण एसी की स्थापना के मामले में, जहां पर सेवाओं का बंडल जैसे स्थापना के लिए लकडी तथा अन्य सामग्री का उपयोग किया जाता है, वेट

को इस प्रकार की सामग्री पर वसुला जाता है तथा मजदूरी भाग पर सेवा कर लागू है, परन्तु पृथक रूप से किसी मूल्य को परिभाषित नहीं किया है। वेट तथा सेवा कर को प्रतिशत के आधार पर लगाया जाता है जिसे राज्य तथा केन्द्र सरकार द्वारा परिभाषित किया गया है।

(d) सेवा पर कर को लगाने की असमर्थता

राज्य कराधान अधिकार से सेवा को अलग रखने की वजह से राज्य की राजस्व वृद्धि पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। आय पर करारोपण अथवा उपभोक्ता व्यय के बढ़ते भाग पर करारोपण के अधिकार के ना होने से, राज्य लगभग अनुपालन सुधार अथवा दर वृद्धि द्वारा अपने स्वयं के राजस्व स्नोत में वृद्धि पर विश्वास करते हैं। राज्यों को सेवा के कराधान को ना देने का विकल्प केन्द्रीय वेट (सेवा से कर सिहत) में हिस्से को निर्दिष्ट करना सम्मिलित है।

(e) प्रावधान तथा दर में अनुरुपता का अभाव

राज्य कर में वर्तमान वेट सरचना में अनुरुपता का अभाव है जो केवल कर की दर तक सीमित नहीं है परन्तु प्रक्रिया तक तथा कभी-कभी परिभाषा, गणना तथा विमुक्ति तक भी जाता है।

(f) स्थान को निश्चित करना - स्थानीय बिक्री बनाम केन्द्रीय बिक्री

क्या एक बिक्री एक राज्य में होती है अथवा एक अन्य राज्य में अर्थात बिक्री सौदे का स्थान निश्चित करना एक प्रमुख टकराव है, क्योंकि इसका कराधान राज्य के राजस्व को प्रभावित करता है। यद्यपि केन्द्रीय बिक्री कर केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाये जाने वाला कर है, इसे संगृहित राज्य द्वारा एकत्रित करके रखा जाता है। व्यापार सौदा सीधा राज्य 'x' से राज्य 'y' में स्थित ग्राहक ABC को अन्तराज्य बिक्री है अथवा राज्य 'x' से राज्य 'y' में एक शाखा को पहले स्टॉक अंतरण है तथा बाद में राज्य 'y' में ABC ग्राहक को स्थानीय बिक्री है तब राज्य 'x' और 'y' जैसा भी मामला है के राजस्व पर प्रभाव पड़ेगा। इस मुद्दे पर कई मुकद्दमेबाजी हुई है। अंततः केन्द्रीय सरकार में केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 के अन्तर्गत प्रावधान किया तथा इस प्रकार के मामले के समाधान के लिए केन्द्रीय अपील-संबंधी प्राधिकरण का सृजन किया।

(g) विवेचनात्मक मुद्दे

एक अन्य समस्या वस्तुओं (commodities) की श्रेणी का निर्धारण तथा विभिन्न प्रावधानों की विवेचना के संबंध में उत्पन्न होती हैं। हम केवल इस मुद्दे के संदर्भ में कई मुकद्दमेबाजी को पाते हैं। यह निर्णय करने के लिए क्या एक गतिविधि बिक्री है अथवा वकर्स ठेका है, बिक्री अथवा सेवा है, कई मामलों में संदेह से मुक्त नहीं है।

(h) संकीर्ण आधार


सेनवेट का आरंभ बिन्दु संकीर्ण है तथा आगे क्षेत्र आधारित तथा शर्तात्मक विमुक्ति के कई प्रकार से अपक्षरण (नष्ट होना) (Erode) हुआ है। पहले सेवा कर चयनित सेवाओ पर लागू था। परन्तु वित्त अधिनियम 2012 के कार्यान्वियत होने के पश्चात् सेवा के विस्तृत कराधान के सिस्टम को लागू किया गया जिसमे से कुछ सेवाओं को 'नकारात्मक सूची' में उल्लिखित कर के विमुक्त किया गया। राज्य वेट के अन्तर्गत जिटलता प्रमुख रूप से वस्तुओं के विभिन्न कर दर अनूसूची के वर्गीकरण से संबंधित है। सैद्धान्तिक रूप से, एक व्यक्ति आशा कर सकता है कि कुछ जरूरते जिनका निर्धन द्वारा उपभोग किया जाता है पर न्युनतम कर लागू किया जायेगा। राज्य वेट के अन्तर्गत यह मामला नहीं है। 1% की न्युनतम दर कीमती धातु तथा जेवराहत तथा संबंधित उत्पाद पर लागू की जाती है। 5% की मध्य दर को चयनित बुनियादी जरूरतो तथा कई औद्योगिक इनपुट तथा सूचना प्रौद्योगिकी (IT) उत्पाद पर लागू किया जाता है। वास्तव में बुनियादी जरूरतो की वस्तुएं तीन श्रेणी के अन्दर आती है — कर से विमुख, 5% पर करयोग्य तथा 12.5% की मानक दर पर करयोग्य। 20% की उच्च दर मुख्यता पेट्रोलियम उत्पाद तथा शराब पर लागू होती है।

यद्यपि, अधिकतर खुदरा व्यापारी विधायी अनूसूची विधायी का हवाला दिए बिना दी गई मद पर लागू कर का निर्धारण करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। उपभोक्ता विभिन्न मदों पर लागू कर दर के बारे में कम अवगत हैं।

(i) प्रशासन में जटिलता

कर की प्रत्येक संरचनात्मक अथवा योजना की कमी पर समझौता उसके प्रशासन के लिए खराब अथवा पुरातन अधोसंरचना है। करदाता, सेवा को सफल स्वंय कर-निर्धारण

प्रणाली जरूरी है जो कि प्रायः मौजूद नहीं हैं अथवा दोनो केन्द्रीय तथा राज्य प्रशासन के अन्तर्गत अर्प्याप्त है। अधिकतर प्रशासकीय कार्यवाही हस्तगत है जो कि आटोमेशन की कुशलता का लाभ नहीं उठाते हैं। यह सब ना केवल अनुपालनता की लागत को बढ़ाते हैं, साथ में राजस्व संग्रहण को भी कम करते हैं।



वस्तु तथा सेवा कर (GST) क्या है तथा यह कैसे कार्य करता है ?

वस्तु तथा सेवा कर क्या है ?

'वस्तु तथा सेवाकर' वस्तु के निर्माण, बिक्री तथा माल की खपत साथ ही साथ राष्ट्रीय स्तर पर सेवा पर विस्तृत प्रस्तावित एक अप्रत्यक्ष कर है। इसका मुख्य उद्देश्य बहुकरारोपन का प्रतिस्थानापन्न, सभी अप्रत्यक्ष करो (सीमा शुल्क को छोड़कर) का एकीकरण करना है, विधमान अप्रत्यक्ष कर संरचना की परिसीमा पर काबु पाना है तथा कर प्रशासन में कुशलता लाना है।

वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) पर जाने का एक कारण एक सामान्य कर आधार के अन्तर्गत सभी राज्यों में तथा समस्त आपूर्ति शृंखला में निर्वाध रूप से क्रेडिट को सुलभ करना है। वर्तमान फ्रेमवर्क सेनवेट (निर्माण पर कर) तथा सेवा कर के मध्य सीमित अन्तर्गत करारोपण क्रेडिट की आज्ञा देता है। यद्यपि, बिक्री कर/वेट (इनपुट पर) अथवा भुगतान योग्य (आउटपुट) के मध्य कोई क्रोस क्रेडिट उपलब्ध नहीं है। वस्तु तथा सेवाकर की प्रस्तुति उत्पाद कीमत में कर विषय-वस्तु का युक्तिकरण करेगी, वैश्विक रूप से स्पर्द्धा करने के लिए व्यापार इकाइयों की योग्यता को बढ़ायेगी तथा संभवतः लाभ को अंततः उपभोक्ता तक ले जायेगी।

उदाहरण : एक उत्पाद जिसकी मूल कीमत ` 100, 12% की दर से उत्पाद शुल्क लगाने के पश्चात् उत्पाद का मूल्य ` 112 है। इस प्रकार की वस्तु की बिक्री पर 12.5% की दर से वेट लगाया जाता है तथा अंततः उपभोक्ता को कीमत ` 126 देनी होती है। प्रस्तावित वस्तु तथा सेवा कर सिस्टम में ` 100 की मूल कीमत पर केन्द्रीय वस्तु तथा सेवा कर तथा राज्य वस्तु तथा सेवा कर (SGST) दोनो को वसुला जायेगा जो कि प्रत्येक पर 8% की दर से है तब अंततः उपभोक्ता के लिए मूल्य ` 116 है। इसलिए इस प्रकार के मामले में उद्योग वैश्विक वातावरण में बेहतर रूप से प्रतिस्पर्छा कर सकती

है। इसलिए वस्तु तथा सेवा कर एक वृहत आधारित तथा एक अर्थव्यवस्था में उपभोग वस्तु तथा सेवा कर लगने वाला एकल विस्तृत दर है। वस्तु तथा सेवा दर को पिछले चरण में प्रेषित कर के संबंध में लागू सेट ऑफ के साथ उत्पादन वितरण शृंखला के प्रत्येक चरण पर लगाया जाता है। यह मूलतः अन्तिम उपभोग पर कर है। एक स्थान पर रखे तो, वस्तु तथा सेवा कर को वस्तु तथा सेवा पर कर के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो सेवा के प्रावधान अथवा बिक्री के प्रत्येक बिन्दु पर लगेगा, जिसमें वस्तु की बिक्री अथवा सेवा के प्रावधान के समय, विक्रेता अथवा सेवा प्रदानकर्ता कर के इनपुट क्रेडिट का दावा कर सकता है, जिसका उसने वस्तु के क्रय अथवा सेवा कर वस्तु तथा सेवा से संबंधित सभी सौदो के लिए एक करारोपण है। यद्यपि भारत में, संविधान के अन्तर्गत कराधान फ्रेमवर्क को निर्धारित करने तथा कर को लगाने तथा संग्रहित करने को केन्द्र तथा राज्य के मध्य पृथक किया गया है। वस्तु तथा सेवा कर के संबंध में विवाद को सुलझाने के लिए तथा लागू करने के लिए एक परिषद की स्थापना की जाएगी। इसकी विशिष्टता को देखते हुए, अन्य देशों की विद्वता को सीधे भारत में लागू नहीं किया जा सकता।

वस्तु तथा सेवा कर का उदाहरण (सभी पक्ष एक राज्य में स्थित है)ः मान्यता (1) उत्पाद शुल्क की दर 12% (2) वेट दर 14.5% (3) केन्द्रीय बिक्री तथा सेवा कर दर -12% (4) राज्य वस्तु तथा सेवा कर की दर 12% (5) लाभ मार्जिन ` 10000/` 5000/5000 (कर से पूर्व)।

विवरण	वेट के	वस्तु तथा सेवा
	अन्तर्गत	कर के अन्तर्गत
	(`)	(`)
(i) निर्माता (D1) से थोक व्यापारी (D2)		
उत्पादन की लागत	90000	90000
इनपुट कर क्रेडिट (शुन्य मानते हुए)		
जोड़े : लाभ मार्जिन	10000	10000
उत्पादक की मूल कीमत	100000	100000

वस्तु तथा सेवा कर (GST) क्या है तथा यह कैसे कार्य करता है ?

जोडे : 12% की दर से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	12000	
जोडे : ` 1,12,000 पर 14.5% की दर से वेट	16240	
जोडे : 12% की दर से केन्द्रीय वस्तु		
तथा बिक्री कर		12000
जोडे : 12% की दर से राज्य वस्तु तथा		
बिक्री कर		12000
बिक्री कीमत	128240	124000
(ii) थोक व्यापारी निर्माता (D2) से खुदरा व्याप	गरी (D3)	
D2 को वस्तुओं की लागत	112000	100000
सेटआफ के लिए उपलब्ध इनपुट कर क्रेडिट	16240	24000
जोडे : लाभ मार्जिन	5000	5000
योग	117000	105000
जोडे : 14.5% की दर से वेट	16965	
जोडे : 12% की दर से केन्द्रीय वस्तु तथा		
सेवा कर		12600
जोडे : 12% की दर से राज्य वस्तु तथा		
सेवा कर		12600
खुदरा व्यापारी की कुल कीमत	133965	130200
(iii) खुदरा व्यापारी (D3) से उपभोक्ता (C)		
D3 को वस्तुओं की लागत	117000	105000
इनपुट कर क्रेडिट	16965	25200
जोडे : लाभ मार्जिन	5000	5000
योग	122000	110000
जोडे : 14.5% की दर से वेट	17690	

वस्तु तथा सेवा कर भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वरदान (अवधारणा तथा लाभ)

जोडे : 12% की दर से केन्द्रीय वस्तु तथा		
सेवा कर		13200
जोडे : 12% की दर से राज्य वस्तु तथा		
बिक्री कर		13200
उपभोक्ता के लिए कुल कीमत	139690	136400
सभी सौदो से भुगतान योग्य कुल कर	29690	26400
सत्यापनः 14.5% की दर से वेट [139690 × 14.5	5/114.5]	
= ` 17690 + 12000 (सेनवेट) = 29690		
D1 [12000 + 16240]	28240	
D2 [16965 – 16240]	725	
D3 [17690 – 16965]	725	
सत्यापनः 24% की दर से वस्तु तथा बिक्री कर [136400 × 24	/124] = 26400
D1 [12000 + 12000]		24000

सत्यापनः 24% की दर से वस्तु तथा बिक्री कर [136400 × 24/124] = 26400 D1 [12000 + 12000] 24000 D2 [25200 - 24000] 1200 D3 [26400 - 25200] 1200

नोट: उपरोक्त उदाहरण के अनुसार, वस्तु तथा सेवा कर प्रशासन में उपभोक्ता के लिए प्रमुख लाभ है कि वस्तु तथा सेवा कर को सदा उत्पादक मूल कीमत पर वसुला जाता है।

यह ज्ञात करना महत्वहीन है कि मोद्रिक संदर्भ से किसको लाभ हुआ, सरकार को अथवा उपभोक्ता को, परन्तु निश्चित रूप से, वस्तु तथा सेवाकर बेहतर सिस्टम है जो स्वंय अनुशासित है। इससे अधिक, ज्यादातर मामलो में शुद्ध प्रभाव मामुली होगा। क्योंकि राजस्व तटस्थ दर (RNR) का निर्धारण सरकार द्वारा मोद्रिक प्रभाव को विचार में लेकर किया जायेगा।


एक आदर्श वस्तु तथा सेवाकर (GST) की विशेषता

वस्तु तथा सेवा कर वस्तु तथा सेवा पर एक विस्तृत मुल्य संवर्द्धन कर है। इसे बिना राज्य की सीमा के इनपुट कर क्रेडिट पद्धित पर आधारित वस्तु की बिक्री अथवा क्रय

वस्तु तथा सेवा कर (GST) क्या है तथा यह कैसे कार्य करता है ?

पर अथवा सेवा की आपूर्ति के प्रत्येक चरण के मूल्य संवर्द्धन पर लगाया तथा संग्रहित किया जाता है। कर योग्य सेवा तथा करयोग्य वस्तु के मध्य कोई अंतर नहीं है तथा उन पर वस्तु तथा सेवा के उपभोक्ता तक पहुंचने पर वस्तु तथा सेवा की आपूर्ति शृंखला को एकल दर पर कर लगाया जाता है। सामान्यतः प्रशासकीय अधिकार वस्तु तथा सेवा पर कर को लगाने के लिए एकल प्राधिकरण पर निहित है। वस्तु तथा सेवा कर की मुख्य विशेषताएँ निम्न है:

- (a) वस्तु तथा सेवा कर मूल्य संवर्द्धन कर के सिद्धांत पर आधारित है तथा स्वेच्छिक अनुपालन तथा लेखा आधारित सिस्टम पर जोर के साथ या तो इनपुट कर पद्धित है अथवा 'घटा' पद्धित (Substraction Method) है।
- (b) यह उपांतिम (Penultimate) सौदा मूल्य का घटाना अथवा इनपुट कर क्रेडिट के लाभ के साथ समान दर पर दोनो वस्तु तथा सेवा पर विस्तृत करारोपण तथा संग्रहण है।
- (c) कर की फ्लोर दर की न्युनतम संख्या दो दरो से अधिक नहीं।
- (d) उपकर, पुनः बिक्री कर, अतिरिक्त कर, विशेष कर, टर्नओवर कर इत्यादि को लगाने का स्कोप नहीं है।
- (e) वस्तु तथा सेवा पर कर का बहुकर जैसे बिक्रीकर, प्रवेश कर, चुंगी, मनोरंजन कर, विलासिता कर इत्यादि को लगाने का स्कोप नहीं है।
- (f) निर्यात तथा सेवा की आपूर्ति तथा वस्तुओं की अर्न्तराज्य बिक्री की जीरो रेटिंग।
- (g) पूंजीगत वस्तु तथा इनपुट का कर चाहे वस्तु अथवा सेवा न्यून दर पर निर्माण से संबंधित है ताकि इवेटंरी ढुलाई लागत तथा उत्पादन की लागत से कम किया जा सके।
- (h) एक एकल प्रशासन के अन्तर्गत देश भर में सामान्य कानून तथा प्रक्रिया।
- (i) जीएसटी एक गंतव्य आधारित कर है तथा इसे अंतिम उपभोक्ता तक समान या सेवाओं के उपभोग के समय में एक बिन्दु पर लगाया जाएगा।



राजस्व तटस्थ दर

प्रस्तावित वस्तु तथा सेवा कर प्रशासन में, सरकार का राजस्व कर क्रेडिट यंत्रीकरण अथवा अन्यथा किसी और कारण से वर्तमान कर सरचना की तुलना में वैसा समान नही है। इसलिए, सरकार के राजस्व में कटौती से बचने के लिए कर दर में समायोजन की आवश्यकता है। अतएव, कर की दर को उचित रूप से समायोजित करना होगा ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि कर राजस्व में कमी ना आये। इस दर को 'राजस्व तटस्थ दर' का नाम दिया गया है। यह वह दर है जिस पर राजस्व समान रहता है, इनपुट पर शुल्क भुगतान का क्रेडिट देने के बावजूद।

वस्तु तथा सेवा कर की सफलता राजस्व तटस्था दर पर निर्भर होगी

वस्तु तथा सेवा कर की सफलता मुख्यतः केन्द्र स्तर तथा राज्य स्तर कीआदर्श दर पर निर्भर होगी जो जनता को स्वीकार्य होगी तथा सरकारों का राजस्व जिसमें तटस्थ होगा।

कर के संग्रहण के स्वर्णिनम सिद्धांत को विश्व के सर्वाधिक पुराने अर्थशास्त्री संत कोटिल्य उपनाम चाणक्य मुनि ने 2000 वर्ष से भी अधिक पहले दिया था। उसने कहा था कि राजा को भिन्न व्यक्तियों से उसी प्रकार कर का संग्रहण करना चाहिए जैसे मधुमक्खी विभिन्न प्रकार के फूलों से बिना उन्हें नुकसान पहुंचाए शहद एकत्रित करती है। इसलिए जहां तक संभव हो वस्तु तथा सेवा कर दर को कम रखने के लिए सभी प्रयास करने चाहिए। यह व्याख्या करते हुए कि कुछ देशो में कर दर कम क्यों है, Dr. P. Shome ने कहा कि भारत में बड़े निगमों द्वारा भी स्वेच्छिक अनुपालन ऐच्छिक स्तर पर नहीं है तथा वह देश जिन्होंने वेट/केन्द्रीय तथा सेवा कर दर को कम किया है ने

वस्तु तथा सेवा कर (GST) क्या है तथा यह कैसे कार्य करता है ?

जीएसटी फ्रेमवर्क में कई करो को सम्मिलित कर छुट को हटाकर कर संरचना को रेखिक बना दिया है।


इसीलिए, जीएसटी की दर को यह सुनिश्चित करते हुए निर्धारित किया जाएगा कि प्रस्तावित बदलाव लाने से किसी प्रकार के राजस्व का नुकसान ना हो और सामान्य वृद्धि/विकास होता रहे।

वस्तु तथा सेवा कर (जी.एस.टी.) के लिए सूचना तथा प्रोद्योगिकी (IT) व्यूहरचना

वस्तु तथा सेवाकर को समर्थ बनाने के लिए बृहत आई टी. योजना को भारत सरकार तथा डॉ. आसीम दास गुप्ता की अध्यक्षता के अन्तर्गत राज्य वित्त मंत्रियों की संशक्त सिमिति को 21 जुलाई 2010 को प्रस्तुत किया। वस्तु तथा सेवा कर आई. टी. अधोसरंचना पर सशक्त समूह की अध्यक्षता नंदन निलेकानी ने की है।

बिना सही ढंग से डिजाइन तथा अच्छी ढंग से कार्य करने वाले आई.टी. सिस्टम के, जी. एस.टी. के लाभ अधुरे रहेंगे। यह महत्वपूर्ण है कि जी.एस.टी., आई.टी. सिस्टम का डिजाइन तथा कार्यान्वयन बिना किसी देरी के आरंभ हो तथा जल्द से जल्द संभव समय में अनुसुलझे नीतिगत मामले पर एकमत प्राप्त किया जा सके। जी.एस.टी. नेटवर्क की कुछ विशेषताएँ निम्न है।

वस्तु तथा सेवा कर भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वरदान (अवधारणा तथा लाभ)



- करदाता के लिए सरलता: कर विवरणी की फाइलिंग तथा कर के भुगतान की प्रिक्रिया सरल तथा एक रूप होनी चाहिए तथा करदाता के स्थान तथा व्यापार के आकार से स्वतंत्र होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, अनुपालन प्रिक्रिया को करदाता पर बिना मतलब का भार नहीं डालना चाहिए तथा अनुपालन व्यापारिक प्रिक्रिया का अभिन्न अंग होना चाहिए।
- राज्यों की स्वायतता का सम्मान : आई.टी. सिस्टम के डिजाइन को राज्यों की संवैधानिक स्वायतता का सम्मान करना चाहिए। जब जी.एस.टी के लिए नया आई.टी. सिस्टम लागू किया जायेगा। तब कई व्यवसायिक प्रक्रियाओं की पुनः अभियांत्रिकी की जाएगी। आई.टी. सिस्टम अथवा पुनः अभियांत्रिकी के कारण राज्यों की स्वाययता में कमी नहीं आनी चाहिए। इसके विपरीत इससे राज्यों की स्वायतता को मजबुत होना चाहिए। यह इस प्रपत्र के शेष में प्रस्तुत आई.टी. प्रणाली की रूपरेखा में प्रमुख कारक है।

वस्तु तथा सेवा कर (GST) क्या है तथा यह कैसे कार्य करता है ?

- नीति प्रशासन की अनुरुपता : जी.एस.टी के आस पास व्यापार प्रक्रिया का मानकीकरण करने की आवश्यकता है। राज्यों तथा केन्द्र में नीति प्रशासन की अनुरूपता एक बेहतर करदाता अनुभव की तरफ ले जायेगी तथा अनुपालन तथा कर प्रशासन की लागत को कम करेगी।
- समस्त शृंखला का अंकीकरण तथा आटोमेशन को समर्थ करना : जी.एस.टी के आस पास सभी व्यापार प्रक्रिया को जहां तक संभव हो आटोमेटिड करना चाहिए तथा सभी प्रपत्र को इलैक्ट्रोनिकली प्रोसेस करना चाहिए। इससे तीव्र प्रोसेसिंग होगी तथा कर सूचना का मिलान होगा तथा कर प्राधिकरण द्वारा जोखिम आधारित परीक्षण को समर्थ करेंगे। छोटे करदाता के लिए, स्थानांतरण (migration) को सुलभ करने के लिए सुलभ केन्द्र की स्थापना की जा सकती है।
- रिसाव को कम करना: एक पुरी तरह इलैक्ट्रोनिक जी.एस.टी. नाटकीय रूप से रिसाव को कम करके कर संग्रहण को बढ़ा सकता है। इनपुट कर क्रेडिट की मैचिंग, डाटा माइनिंग तथा पैटर्न डिटेडेक्शन (detection) जैसे साधन कर चोरी को रोकेंगे तथा संग्रहण को बढ़ायेगें।
- विद्यमान निवेश की लिवरेजिंग: राज्यों के विद्यमान आई. टी. निवेश को लिवरेज करना चाहिए। वाणिज्यिक कर पर मिशन मोड परियोजना को आगे जाते हुए जी.एस.टी. के साथ गठबंधन किया जाना चाहिए। जी.एस.टी. नेटवर्क के निम्न हित धारक होंगे:
 - O करदाता -- छोटे तथा निगमित (Corporate)
 - O राज्य कर प्राधिकरण
 - O केन्द्रीय उत्पाद तथा सीमा शुल्क बोर्ड (CBEC)
 - O भारतीय रिजर्व बैंक
 - O बैंक
 - O अन्य प्राधिकरण

जी.एस.टी. नेटवर्क निम्न की सहायता करेगा :

- O पंजीकरण
- O विवरणी
- O चलान
- O वस्तुओं का अर्न्तराज्य अंतरण
- O ऑडिट
- O अपील
- O प्राधिकरण के मध्य सूचना का प्रवाह
- O धन वापसी (Refund)।

अध्याय 3

वस्तु तथा सेवा कर का लाभ

भारत में जी.एस.टी. मॉडल दोहरा जी.एस.टी. होगा जिसमें दोनो केन्द्र तथा राज्य जी. एस.टी हिस्से को समान आधार पर लगाया जायेगा। कुछ अपवाद को छोड़कर सभी वस्तु तथा सेवा को जी.एस.टी में लाया जायेगा। महत्वपूर्ण रूप से, कर के उद्देश्य के लिए वस्तु तथा सेवा के मध्य कोई अन्तर नहीं होगा तथा एक जैसा विधान दोनो पर लागू होगा।

उदाहरण के लिए, यदि एक उत्पाद जिस पर कर लगना है कि मूल कीमत ` 100 है तथा केन्द्रीय जी.एस.टी. तथा राज्य जी.एस.टी की दर 8% है तब दोनो केन्द्रीय जी.एस. टी तथा राज्य जी.एस.टी. ` 100 अर्थात् मूल कीमत पर वसुला जायेगा अर्थात् केन्द्रीय जी.एस.टी. तथा राज्य जी.एस.टी ` 8 होगा। मई 2007 में सशक्त समिति द्वारा नियुक्त संयुक्त कार्य समूह की अनुशंसा के अनुसार, भारत में जी.एस.टी की पुरी तरह से दोहरी वेट सरंचना नहीं होगी परन्तु यह चौगुनी कर सरंचना होगी। इसके चार घटक हो सकते हैं:

- (a) खुदरा स्तर तक विस्तरित वस्तु पर केन्द्रीय कर
- (b) सेवा पर केन्द्रीय कर
- (c) वस्तु पर राज्य वेट तथा
- (d) सेवा पर राज्य वेट।

आर्थिक सर्वेक्षण 2008-09 ने सरकार को जारी वित्तीय सुधार के भाग के रूप में देश भर में वस्तु तथा सेवा कर (जी.एस.टी.) को लागू करने की अनुशंसा की तथा दोनों केन्द्र तथा राज्य द्वारा एक साथ दोहरा जी.एस.टी. सरंचना लगाने का समर्थन किया। राज्य वित्त मंत्रियों की सशक्त समिति द्वारा दोहरा जी.एस.टी की अनुशंसा का उदाहरण देते हुए सर्वेक्षण ने कहा कि दोहरा जी.एस.टी. कर सोपानी (Cascading) प्रभाव को हटाते हुए केन्द्र तथा राज्य वित्तीय स्वायतता के मध्य अच्छा संतुलन रखता है।

"यह आपुर्ति शृंखला में सभी बिन्दु पर वस्तु तथा सेवा के विस्तृत आधार पर कर को लागू करने के लिए सरकार के दोनो स्तर को सशक्त करता है। यह कर के सोपानी प्रभाव (Cascading) को भी हटाता है जो केन्द्र तथा राज्य करों के खंडन अथवा आंशिक उपयोग के कारण है।

एक सर्वेक्षण में कहा गया कि विगत कुछ वर्षों में देश के कर योजना तथा प्रशासन में सुधार होने के बावजूद दोनो केन्द्र तथा राज्य स्तर पर व्यवस्था अभी भी जिटल है। इसमें कहा गया कि जिटलता निति से संबंधित है तथा राज्य तथा केन्द्र स्तर पर बहुदर तथा विमुक्ति के वर्तमान सिस्टम के कारण है। सर्वेक्षण ने टिप्पणी की, कि सेनवेट (केन्द्रीय मूल्य संवंद्धन कर) तथा सेवा कर में किमयां गभीर है तथा उन पर विचार किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, सेनवेट का पहले से संकीर्ण आधार क्षेत्र विशेष छूट के द्वारा खत्म किया जा रहा है। सर्वेक्षण में कहा गया कि जी.एस.टी की प्रस्तुति पहले से हो रही सुधार प्रक्रिया को मजबूत बनाने का अवसर है। जी.एस.टी. अर्थव्यवस्था को सशक्त करने के लिए एक एकल, एकीकृत भारतीय बाजार सृजित करेगा। कुल मिलाकर जी.एस.टी आगे जाकर सरकार तथा उपभोक्ता को लाभ प्रदान करेगा जिससे दोनो के लिए जीत की स्थिति होगी। जी.एस.टी. के कुछ लाभ नीचे सूचीबद्ध किये गए हैं।

(a) करो की बहुपरत का हटाना

भारत में जी.एस.टी. का कार्यान्वयन करो की विद्यमान रेखाओं जैसे केन्द्रीय उत्पाद, सेवा कर, बिक्री कर, वेट इत्यादि को एक कर अर्थात जी.एस.टी में एकीकृत करेगा। यह उत्पाद तथा सेवा पर वर्तमान में लगने वाले बहुकर से बचने में सहायता करेगा। उदाहरण के लिए भोजनालय सेवा के मामले में हम दोनो, सेवा कर तथा वेट का भुगतान करते हैं जो कुल राशि का लगभग 140% होगा (100% मूल्य पर वेट तथा घटे हुए मूल्य 40% सेवा कर)।

(b) सोपानी प्रभाव (Cascading) कराधान का शयन

जी.एस.टी प्रशासन के अन्तर्गत अंतिम कर का भुगतान वस्तु/सेवा के उपभोक्ता द्वारा किया जायेगा, परन्तु करो का सोपानी प्रभाव ना हो, यह सुनिश्चित करने के लिए एक इनपुट कर क्रेडिट सिस्टम लागू होगा। जी.एस.टी. प्रत्येक चरण पर मूल्य संवर्द्धन पर

लगाया जायेगा जबिक वर्तमान परिदृश्य में कुछ मामलों में कर पर भी कर का भुगतान करना होता है जैसेकि अर्थात् वेट उत्पाद शुल्क पर भुगतान योग्य है।

(c) सामान्य राष्ट्रीय बाजार का विकास

जी.एस.टी. अप्रत्यक्ष करो के संबंध में राज्यों तथा विभिन्न क्षेत्र में अनुरूप कराधान को लागू करेगा जो देशभर में वस्तु तथा सेवा की निर्वाध रूप से आपूर्ति को सुलभ करेगा। यह आर्थिक विसंगति को हटाने, निर्यात को बढ़ाने तथा सामान्य राष्ट्रीय बाजार के विकास में सहायता करेगा। यह निश्चित रूप से भारत की कर की सकल घरेलु उत्पाद अनुपात में कर के अनुपात को बढ़ावा देगा तथा इस प्रकार आर्थिक कुशलता का संवर्द्धन करने तथा बनाये रखने योग्य दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि में सहायता करेगा।

(d) स्वेच्छिक अनुपालन में सहायता

जी.एस.टी. प्रशासन में प्रक्रिया सरल तथा स्पष्ट होगी जिसमें गलती के लिए कम मौके होगें। क्योंकि सारी सूचना सामान्य जी.एस.टी. नेटवर्क के जिरये प्रवाहित होगी, यह गलितयों के कम स्कोप के साथ कर भुगतान तथा अनुपालन को नियमित आदर्श बनायेगा। केवल कर के भुगतान पर उपभोक्ता उन करों के लिए क्रेडिट को प्राप्त करेगा जिसका भुगतान इनपुट पर किया है। उत्पादन शृंखला में मूल्य संवर्द्धन तथा आय का आटोमेटिक ऑडिट ट्रेल को सृजित करेगा जिसे कर की क्षमता का एक एकीकृत आधार बना कर इस्तेमाल किया जा सकेगा। इस प्रकार जी.एस.टी. माडल वर्तमान अप्रत्यक्ष कर कि भिन्नता के पेचवर्क (Patchwork) की आवश्यकता को दूर करेगा।

(e) घटी मुकद्दमेबाजी


जी.एस.टी. के अन्तर्गत कराधान की न्याय क्षेत्र के संबंध में स्पष्टता के कारण मुकद्दमेबाजी को कम करेगा जबिक वर्तमान सरंचना में कुछ मामले जैसे सोफ्टवेयर, वस्तुओं के उपयोग का अधिकार इत्यादि में केन्द्र तथा राज्य के द्वारा कराधान के संबंध में अनिश्चितता विद्यमान है। जी.एस.टी. प्रशासन के, एक एकल कर कानून के होने से वर्तमान के विभिन्न कर कानून के बहु कर-निर्धारण की तुलना में निर्विध्न कराधान होगा।

(f) सरकार द्वारा कुशल प्रशासन

वर्तमान में, करो की बहु संख्या तथा उनके सोपानी (Cascading) प्रभाव, एकीकृत नेटवर्क के अभाव के कारण, अप्रत्यक्ष करो का प्रशासन सरकार के लिए विशाल कार्य है जो अनुपालन तथा प्रशासन लागत को भी जोडता है। प्रस्तावित जी.एस.टी. प्रशासन के अन्तर्गत एकीकृत कर दर, सरल इनपुट कर क्रेडिट यंत्रीकरण तथा एकीकृत जी.एस. टी नेटवर्क के साथ, सूचना तुरंत उपलब्ध होगी तथा संसाधन का प्रशासन, सरकार के लिए सरल तथा कुशल होगा। एक एकल कर होगा, त्रुटियों तथा मुकद्दमेबाजी को घटाया जायेगा जिसका परिणाम प्रशासकीय लागत का घटना भी होगा।

(g) सरकार के लिए कर प्रोत्साहन के रूप में कार्य करेगा

वृहतर कर आधार, न्यूनतम फ्लोर दर, निर्वाध क्रेडिट की सुविधा के साथ वस्तु तथा सेवा पर कर सरकार के लिए एक कुशल प्रोत्साहन साबित होगा। अनुपालन की सुलभता तथा एकीकृत नेटवर्क डाटा कर संग्रहण सरकार के लिए काफी सरल होगा।



अध्याय 4

वर्तमान कर सरचना बनाम वस्तु तथा सेवा कर—एक तुलनात्मक अध्ययन

प्रस्तावित जी.एस.टी. प्रशासन विद्यमान कर सिस्टम के एकीकरण पर फोक्स करता है तथा एक एकीकृत कर संरचना को सृजित करता है। जबिक कराधान का वर्तमानस्वरूप बहुपरतीय है, उसे जी.एस.टी. प्रशासन के अन्तर्गत एक में मिला दिया जायेगा। जी.एस. टी. वृहत आधारित, एकीकृत तथा कार्यान्वयन तथा लागू होने के संदर्भ में लाभप्रद हैं। वर्तमान कर सरंचना के मुकाबले जी.एस.टी. की विभिन्न विशेषताओं की तुलना करते हुए सारणी निम्नलिखित है।

क्र.	विवरण	वर्तमान कर सरंचना	जी.एस.टी. (अपेक्षित)
सं.			
	सरंचनात्मक अंतर	दो स्तर पर एक साथ दो पृथक वेट सिस्टम संचालित है, राज्य तथा केन्द्र में तथा एक के अन्तर्गत भुगतान किया गया कर (इनपुट कर क्रेडिट) अन्य के विरुद्ध सेट ऑफ के रूप में उपलब्ध नहीं है।	केन्द्रीय जी.एस.टी. (CGST) तथा राज्य जी.एस.टी. (SGST) के साथ एक दोहरा कर को लगाया जाता है। इसलिए, कुछ अपवाद को
		द्वारा पृथक विधान के अन्तर्गत लगाया जाता है।	तथा सेवा के मध्य कोई अन्तर नहीं है दोनों पर एक

		राज्य स्तर पर सेवा का विस्तृत कराधान नहीं है, कुछ सेवाओं पर पृथक अधिनियिम के अन्तर्गत कर लगाया जाता है। भारत में आयात राज्य वेट के तहत नहीं है।	है। यह उत्पाद शुल्क, सर्विस टैक्स और वेट के बीच
2.	कराधान का स्थान	वस्तु की बिक्री अथवा सेवा प्रदान करने के स्थान पर कर योग्य है।	
3.	उत्पाद शुल्क	पृथक अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा लगाया गया है। कर योग्य घटनाः निर्माण, निर्माणी बिन्दु तक कर लगेगा।	(जी.एस.टी.) में मिला दिया जायेगा। कर योग्य घटनाः
4.	मूल सीमा शुल्क	पृथक अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा लगाया गया। कर योग्य घटना ः आयात।	बदलाव नहीं
5.	CVD/SAD	पृथक अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा लगाया गया। कर योग्य घटना ः आयात।	कर दिया जायेगा। कर योग्य
6.	सेवा कर	पृथक अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा लगाया	

वर्तमान कर सरचना बनाम वस्तु तथा सेवा कर — एक तुलनात्मक अध्ययन

_			
		गया। कर योग्य घटनाः सेवा	दिया जायेगा। कर योग्य
		का प्रावधान।	घटनाः सेवा का प्रावधान।
7.	केन्द्रीय बिक्री कर	केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा लगाया गया। संग्रहण राज्य को निर्दिष्ट; कर योग्य घटना एक राज्य से एक अन्य राज्य में वस्तुओं का संचलन।	समाप्त कर दिया जायेगा।
8.	राज्य वेट	राज्यों द्वारा लगाया गया कर। कर योग्य घटनाः राज्य के अंदर बिक्री	राज्य जी.एस.टी में मिला दिया जायेगा। कर योग्य घटना: राज्य के अंदर बिक्री
9.	अर्न्तराज्य सौदे	वस्तु तथा सेवा : राज्य द्वारा लगाया गया।	जी.एस.टी. में मिला दिया जायेगा तथा एकीकृत जी. एस.टी. (IGST) के तहत कर योग्य।
10.	निर्माण पर कर लगाने का अधिकार	उत्पाद शुल्क (सेनवेट) के रूप में : केन्द्र सरकार	जी.एस.टी में ऐसा कोई अधिकार नहीं
11.	वस्तु की बिक्री पर कर लगाने का अधिकार	- अर्न्तराज्य : केन्द्र सरकार - स्थानीय : राज्य सरकार	केन्द्र तथा राज्य सरकारों को समवर्ती अधिकार।
12.	सेवा के प्रावधान पर कर को लगाने का अधिकार	केन्द्र सरकार	केन्द्र तथा राज्य सरकारो को समवर्ती अधिकार

13.	भारत में आयात पर कर	वस्तुः सीमा शुल्क (मूल सीमा शुल्क CVD तथा SAD में मिलकर) के अन्तर्गत सेवा : सेवा कर के अन्तर्गत	वस्तु पर मूल सीमा शुल्क ः कोई बदलाव नहीं वस्तु के आयात तथा सेवा के आयात पर CVD तथा SAD: जी एस टी में मिला दिया जायेगा।
14.	वस्तु तथा सेवा के निर्यात पर कर	विमुक्त⁄जीरो रेटिड	कोई बदलाव नहीं
15.	शाखा अथवा एजेंट को वस्तु के अर्न्तराज्य अंतरण पर कर	फार्म F के साथ विमुक्त	कर योग्य होगा
16.	सोपानी प्रभाव (Cascading Effect)	उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर के मध्य कर क्रेडिट की आज्ञा, परन्तु वेट के साथ नहीं।	उत्पाद शुल्क, सेवा कर तथा वेट के मध्य निर्वाध कर क्रेडिट की आज्ञा।
17.	गैर क्रेडिट योग्य वस्तु	विद्यमान	विद्यमान हो सकती है।
18.	विमुक्त गतिविधियों के लिए प्रयुक्त इनपुट पर क्रेडिट	आज्ञा नहीं	आज्ञा नहीं होगी।
19.	विभिन्न विमुक्ति : उत्पाद मुक्त होगा अथवा वेट विमुक्त	विद्यमान	चरणबद्ध तरीके में हटा दिया जायेगा।

वर्तमान कर सरचना बनाम वस्तु तथा सेवा कर — एक तुलनात्मक अध्ययन

	l (, ()		7 7 5 1
20.	मार्गस्थ अर्न्तराज्य बिक्री तथा उच्च समुद्र बिक्री के लिए विमुक्ति	विद्यमान	कर योग्य हो सकता है।
21.	घोषणा फार्म के विरुद्ध सौदा	केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत विद्यमान।	फार्म को समाप्त कर दिया जायेगा।
22.	सरकारी तथा गैर लाभ सार्वजनिक संस्था पर कराधान	आंशिक रूप से कर लगाया जाता है।	शायद ना बदलें
23.	कर आधार	तुलनात्मक रूप से संकीर्ण	वृहत
24.	उत्पाद शुल्क ः न्यूनतम सीमा	` 1.5 करोड़	े 10 लाख से 20 लाख
25.	वेट-न्यूनतम सीमा	े 5 लाख से ` 10 लाख	` 10 लाख से 20 लाख
26.	सेवाकर न्युनतम सीमा	` 10 लाख	े 10 लाख से 20 लाख
27.	वस्तुओ का वर्गीकरण	उत्पाद शुल्क : HSN वेट कोई नहीं	HSN
28.	वेट∕जीएसटी पंजीकरण संख्या	सरल टीन (TIN) (कुछ राज्य : PAN आधारित)	पैन आधारित संख्या
29.	कर के संग्रहण तथा विवरणी की फाइलिंग के लिए प्रक्रिया	सेनवेट तथा सेवा कर : समरूप वेट : राज्य से राज्य अलग-2	समरूप

30.	कम्प्यूटर नेटवर्क का	राज्यों द्वारा अभी आरंभ किया	सघन : यह जी.एस.टी.
	उपयोग	गया : न्यूनतम	के कार्यान्वयन के लिए
			आवश्यक है।
31.	वर्तमान मुकद्दमेबाजी	(a) बिक्री बनाम सेवा	घट जायेगी
	की प्रकृति	(b) वस्तुओं का वर्गीकरण	
		(c) राज्यों के मध्य मुद्दें	
		(d) प्रावधान की विवेचना	
		(e) बिक्री बनाम वर्क्स ठेका	
		(f) सममिश्रत सौदे इत्यादि	
		का मूल्यांकन	

समांक कर जिन्हें जी.एस.टी में मिला दिया जायेगा।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क					
उत्पाद का अतिरिक्त शुल्क					
आयात पर SAD, CVD तथा अन्य घरेलु कर					
सेवा कर					
केन्द्रीय बिक्री कर					
मूल्य संवर्द्धन कर (वेट)					
क्रय कर					
मनोरंजन तथा विलासिता कर					
चुंगी के स्थान पर प्रवेश कर तथा चुंगी					
लॉटरी, शर्त तथा जुए पर कर					

वर्तमान कर सरचना बनाम वस्तु तथा सेवा कर — एक तुलनात्मक अध्ययन

संमाव्य कर जिन्हे जी.एस.टी. में नहीं मिलाया जायेगा।

मूल सीमा शुल्क					
तम्बाकू उत्पाद पर उत्पाद शुल्क					
निर्यात शुल्क					
विशिष्ट उपकर					
शराब पर कर					
टोल कर					
पर्यावरण कर					
सम्पत्ति कर					

अध्याय 5 वस्तु तथा सेवा कर का लाभ दर्शाने के लिए उदाहरण

इस अध्याय में हम कुछ उदाहरण की सहायता से समझेगे कि किस प्रकार से जी.एस. टी. अंततः ग्राहक को लाभ प्रदान करेगा।

उदाहरण 1: अंतः राज्य (राज्य के अंदर) वस्तुओं का व्यापार

विवरण		वर्तमान परिदृश्य (`)	विवरण		जी.एस.टी परिदृश्य (`)
इनपुट निर्माता			इनपुट निर्माता		
लागत	90		लागत	90	
लाभ	10		लाभ	10	
मूल्य		100	मूल्य		100
10% की दर			10% की दर से सी.		
से उत्पाद शुल्क		10	जी.एस.टी.		10
10% की दर से		11	10% की दर से		
VAT			राज्य जी.एस.टी.		10
योग		121	योग		120
			आउटपुट निर्माता		
लागत	100		लागत	100	
लाभ	20		लाभ	20	
मूल्य		120	मूल्य		120

वस्तु तथा सेवा कर का लाभ दर्शाने के लिए उदाहरण

10% की दर			10% की दर		
से उत्पाद शुल्क	12	12	से सीजीएसटी	12	12
सेनवेट क्रेडिट	(10)		इनपुट कर क्रेडिट	10	
कुल उत्पाद शुल्क	2		कुल केन्द्रीय		
भुगतान			जी.एस.टी. भुगतान	2	
10% की दर से वेट	13.2	13.2	10% की दर से राज्य जी.एस.टी.	12	12
 इनपुट कर क्रेडिट	(11)		इनपुट कर क्रेडिट	10	
कुल वेट भुगतान	2.2		कुल राज्य जी.एस. टी. भुगतान	2	
योग		145.20	योग		144
डीलर			डीलर		
लागत	132		लागत	120	
लाभ	10		लाभ	10	
मूल्य		142	मूल्य		130
10% की दर			10% की दर से केन्द्रीय	-	
से वेट	14.2	14.2	जी.एस.टी.	13	13
इनपुट कर क्रेडिट	13.2		इनपुट कर क्रेडिट	12	
कुल वेट भुगतान	1		कुल केन्द्रीय जी.एस.टी. भुगतान	1	
			10% की दर से		
			राज्य जी.एस.टी.	13	13
			इनपुट कर क्रेडिट	12	
			कुल राज्य जी.एस.टी.		
			भुगतान	1	

वस्तु तथा सेवा कर भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वरदान (अवधारणा तथा लाभ)

ग्राहक द्वारा भुगतान		ग्राहक द्वारा भुगतान	
की गई कुल राशि	156.20	की गई कुल राशि	156
ग्राहक द्वारा भुगतान		ग्राहक द्वारा भुगतान	
किया गया कुल कर	26.20	किया गया कुल कर	26
केन्द्र को कुल कर	12.00	केन्द्र को कुल कर	13
भुगतान		भुगतान	
राज्य को कुल कर	14.20	राज्य को कुल कर	13
भुगतान		भुगतान	

इस उदाहरण से यह विदित है कि उपभोक्ता को राज्य के अन्दर वस्तु की बिक्री के दौरान कम राशि तथा कर के भुगतान की आवश्यकता है। जी.एस.टी. द्वारा लागू शुद्ध लाभ अंतिम उपभोक्ता तक पहुँचता है तथा सभी पक्षो को लाभ पहुँचता है।

उदाहरण 2 : अर्न्तराज्य (राज्य से बाहर) वस्तुओं का व्यापार

विवरण		वर्तमान परिदृश्य (`)	विवरण		जी.एस.टी परिदृश्य (`)
इनपुट निर्माता			इनपुट निर्माता		
लागत	90		लागत	90	
लाभ	10		लाभ	10	
मूल्य		100	मूल्य		100
10% की दर			10% की दर से		
से उत्पाद शुल्क	10	10	केन्द्रीय जी.एस.टी.	10	10
10% की दर से वेट		11	10% की दर से		
			राज्य जी.एस.टी.		10
योग		121	योग		120

वस्तु तथा सेवा कर का लाभ दर्शाने के लिए उदाहरण

आउटपुट निर्माता			आउटपुट निर्माता		
लागत	100		लागत	100	
लाभ	20		लाभ	20	
मूल्य		120	मूल्य		120
 10% की दर			20% की दर से		
से उत्पाद शुल्क	12	12	एकीकृत जी.एस.टी.	24	24
सेनवेट क्रेडिट	(10)		इनपुट कर क्रेडिट 20 (केन्द्रीय जी.एस.टी. + राज्य जी.एस.टी.)		
कुल उत्पाद भुगतान	2		कुल एकीकृत जी.एस.टी. भुगतान	4	
2% की दर से केन्द्रीय बिक्री कर	2.64	2.64	1% की दर से अतिरिक्त कर	1.2	1.2
इनपुट कर क्रेडिट	(2.64)				
वेट वापसी दावा	(8.36)		कुल राज्य जी.एस. टी. भुगतान	2	
कुल वेट भुगतान	0.00				
योग		134.64	योग		145.20
डीलर			डीलर		
लागत	138.24		लागत	121.2	
प्रवेश कर	3.60		प्रवेश कर	शुन्य	
लाभ	10		लाभ	10	
 मूल्य		148.24	मूल्य		131.20
10% की दर			10% की दर से		
से वेट	14.82	14.82	केन्द्रीय जी.एस.टी.	13.12	13.12

कुल वेट भुगतान	14.82		इनपुट कर क्रेडिट	13.12	
			कुल केन्द्रीय		
			जी.एस.टी. भुगतान	0	
			10% की दर से		
			राज्य जी.एस.टी.		
			का भुगतान	13.12	13.12
			इनपुट कर क्रेडिट		
			एकीकृत जी.एस.टी.	10.88	
			कुल राज्य जी.एस.टी.		
			भुगतान	2.24	
ग्राहक द्वारा भुगतान			ग्राहक द्वारा भुगतान		
की गई कुल राशि		163.06	की गई कुल राशि		157.44
ग्राहक द्वारा भुगतान			ग्राहक द्वारा भुगतान		
किया गया कुल कर		26.20	किया गया कुल कर		26.24
केन्द्र को कुल कर		12.00	केन्द्र को कुल कर	(10+10	13.12
भुगतान			भुगतान	+2.24	
				+10.88	
				+1.2)	
राज्य को कुल कर		14.20	राज्य को कुल कर	(10–10	13
भुगतान			भुगतान	+2.24	
				+10.88	
				+1.2)	

वस्तु तथा सेवा कर का लाभ दर्शाने के लिए उदाहरण

उदाहरण 3 : अंतः राज्य (राज्य के अंदर) सेवाओ का व्यापार

विवरण		वर्तमान परिदृश्य (`)	विवरण		जी.एस.टी परिदृश्य (`)
इनपुट सेवा प्रदानकर्त्ता			इन् पुट सेवा प्रदानक र्त्ता		
लागत	90		लागत	90	
लाभ	10		लाभ	10	
मूल्य		100	मूल्य		100
10% की दर			10% की दर से		
से सेवा कर		10	केन्द्रीय जी.एस.टी.		10
			10% की दर से		
			राज्य जी.एस.टी.		10
योग		110	योग		120
आउटपुट सेवा प्रदानक	र्त्ता		आउटपुट सेवा प्रदानक	र्त्ता	
लागत	100		लागत	100	
लाभ	20		लाभ	20	
मूल्य		120	मूल्य		120
10% की दर			10% की दर से		
से सेवा कर	12	12	केन्द्रीय जी.एस.टी.	12	12
सेनवेट क्रेडिट	(10)		इनपुट कर क्रेडिट	10	
कुल सेवाकर भुगतान	2		कुल केन्द्रीय जी.एस.		
			टी. का भुगतान	2	
			10% की दर से		
			राज्य जी.एस.टी.	12	12
			इनपुट कर क्रेडिट	10	

वस्तु तथा सेवा कर भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वरदान (अवधारणा तथा लाभ)

		कुल राज्य जी.एस.		
		टी. भुगतान	2	
योग	132	योग		144
ग्राहक द्वारा भुगतान		ग्राहक द्वारा भुगतान		
की गई कुल राशि	132	की गई कुल राशि		144
ग्राहक द्वारा भुगतान		ग्राहक द्वारा भुगतान		
किया गया कुल कर	12	किया गया कुल कर		24
केन्द्र को कुल कर	12	केन्द्र को कुल कर		12
भुगतान		भुगतान		
राज्य को कुल कर	0	राज्य को कुल कर		12
भुगतान		भुगतान		

उदाहरण 4: अंर्तराज्य (राज्य से बाहर) सेवाओ का व्यापार

विवरण		वर्तमान परिटृश्य (`)	विवरण		जी.एस.टी परिदृश्य (`)
इनपुट सेवा प्रदानकर्त्ता			[।] इन्पुट सेवा प्रदानकर्त्ता		1
लागत	90		लागत	90	
लाभ	10		लाभ	10	
मूल्य		100	मूल्य		100
10% की दर			10% की दर से		
से सेवा कर		10	केन्द्रीय जी.एस.टी.		10
			10% की दर से		
			राज्य जी.एस.टी.		10
योग		110	योग		120

वस्तु तथा सेवा कर का लाभ दर्शाने के लिए उदाहरण

आउटपुट सेवा प्रदानकर्त्ता		आउटपुट सेवा प्रदानकर्त्ता			
लागत	100		लागत	100	
लाभ	20		लाभ	20	
मूल्य		120	मूल्य		120
10% की दर			20% की दर से		
से सेवा कर	12	12	एकीकृत जी.एस.टी.	24	24
सेनवेट क्रेडिट	(10)		इनपुट कर क्रेडिट 20 (केन्द्रीय जी.एस.टी. +राज्य जी.एस.टी.)		
कुल सेवा कर	2		कुल एकीकृत		
भुगतान			जी.एस.टी. भुगतान	4	
योग		132	योग		144
 एजेंट			डीलर		
लागत	132		लागत	120	
लाभ	10		लाभ	10	
मूल्य		142	मूल्य		130
10% की दर			10% की दर से		
से सेवा कर	14.2	14.2	केन्द्रीय जी.एस.टी.	13	13
सेनवेट क्रेडिट	(12)		इनपुट कर क्रेडिट	13	
कुल सेवा कर			कुल केन्द्रीय		
भुगतान	2.2		जी.एस.टी. भुगतान	0	
			10% की दर से राज्य जी.एस.टी. का भुगतान	13	13
			इनपुट कर क्रेडिट एकीकृत जी.एस.टी.	11	

वस्तु तथा सेवा कर भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वरदान (अवधारणा तथा लाभ)

		कुल राज्य जी.एस.टी.		
		का भुगतान	2	
ग्राहक द्वारा भुगतान		ग्राहक द्वारा भुगतान		
की गई कुल राशि	156.2	की गई कुल राशि		156
ग्राहक द्वारा भुगतान		ग्राहक द्वारा भुगतान		
किया गया कुल कर	14.2	किया गया कुल कर		26
केन्द्र को कुल कर	14.2	केन्द्र को कुल कर	(10+4+	13
भुगतान		भुगतान	10+11)	
राज्य को कुलकर	0	राज्य को कुल कर	(10+2+	13
भुगतान		भुगतान	10+11**)	

^{*} पहला राज्य केन्द्र सरकार को एकीकृत जी.एस.टी. भुगतान के लिए प्रयुक्त राज्य जी.एस. टी का अंतरण (दे देगी) करेगी।

केन्द्रीय सरकार को जी.एस.टी. का लाभ

जहां तक सेवा का संबंध है, केन्द्रीय सरकार करो के संबंध में तटस्थ स्थिति में होगी। यद्यपि वस्तुओं के व्यापार के मामले में केन्द्रीय सरकार जी.एस.टी के अन्तर्गत लगने वाले कर से लाभ उठायेगी क्योंकि केन्द्रीय जी.एस.टी. को सौदो के प्रत्येक चरण पर लगाया जायेगा जो कि उत्पाद शुल्क से भिन्न है यहाँ केवल वस्तुओं के निर्माण पर कर लगाया जाता है। इसे पहले दिये गये उदाहरण में स्पष्ट किया गया है।

राज्यों को जी.एस.टी. का लाभ

जी.एस.टी. की प्रस्तुति से राज्यों को भी लाभ होगा। हम इसे एक उदाहरण की सहायता से समझ सकते हैं। मान लें कि राज्य 'A' में सेवा प्रदानकर्ता ` 100000 के मूल्य की सेवा प्रदान करता है जिस पर वह 12% राज्य जी.एस.टी. तथा 12% केन्द्र जी.एस.टी. का भुगतान करता है। इस तरह राज्य, राज्य जी.एस.टी. के कारण ` 1200 को प्राप्त करता है। वित्त आयोग की 14वीं रिपोर्ट के अनुसार केन्द्र की अर्जन का 42% को राज्यों

^{**} केन्द्र सरकार दूसरे राज्य को राज्य जी.एस.टी. के भुगतान के लिए प्रयुक्त एकीकृत जी.एस. टी. का अंतरण करेगा।

वस्तु तथा सेवा कर का लाभ दर्शाने के लिए उदाहरण

को आबंटित किया जाना है। आओ हम मान ले कि राज्य का उसमें से 10% का हिस्सा है। अब कुल राज्य अर्जन गणना इस प्रकार होगी :

विवरण	वर्तमाः	न परिदृश्य	जी.एस.टी परिदृश्य		
		(`)	((`)	
	केन्द्र का	राज्य का	केन्द्र का	राज्य का	
	हिस्सा	हिस्सा	हिस्सा	हिस्सा	
सेवा पर प्राप्त 12% की					
दर से सेवा कर	12000				
सेवा पर प्राप्त केन्द्रीय					
जी.एस.टी.			12000		
सेवा पर प्राप्त राज्य					
जी.एस.टी.				12000	
42% की दर से सभी					
राज्यों का कुल					
हिस्सा 14वां वित्त					
आयोग रिपोर्ट		5040		5040	
10% की दर से राज्य					
A का हिस्सा		504		504	
राज्य A का कुल अर्जन		504		12504	
केन्द्र का कुल अर्जन	12000		12000		

अतएव, आरंभ में यह प्रतीत होता है कि राज्य प्रवेश कर, चुंगी इत्यादि को हटाने के कारण घाटे में रहेगी, परन्तु ऐसा नहीं है। राज्य सेवा पर कर के अतिरिक्त वस्तु का अर्न्तराज्य सौदे पर 1% अतिरिक्त कर को प्राप्त करेगी। इसके अतिरिक्त केन्द्र ने स्वंय आरंभ के पांच वर्षों की अविध के लिए किसी राज्य द्वारा उठाये जाने वाले घाटे की क्षतिपूर्ति करने पर भार उठाया है। इस प्रकार की पहल से यह सुनिश्चित किया गया है कि जी.एस.टी. आने के बाद भी राज्यों के राजस्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अन्य देशो में वस्तु तथा सेवा कर

1. कनाडा में जी.एस.टी./एच.एस.टी.

वस्तु तथा सेवा कर (जी.एस.टी.) एक कर है जो कनाडा में ज्यादातर वस्तु की आपूर्ति और सेवा पर लागू होता है। तीन प्रांत (Nova Scotia, New Brunswick तथा New Foundland and Labrador जिन्हें सहभागी प्रांत के रूप में सदंशित किया है) ने हामोनाइजड सेल्ज टेक्स HST अथवा एचएसटी को सृजित करने के लिए जी.एस.टी. को प्रांतीय बिक्री कर के साथ सामंजस्य किया है। एसएसटी करयोग्य वस्तु तथा सेवा के उसी आधार पर लागू होता है जिस पर जीएसटी है। 1 जनवरी 2008 से प्रभावी जीएसटी दर को 6% से घटाकर 5% तथा एचएसटी दर को 14% से घटाकर 13% कर दिया गया है।

लगभग प्रत्येक व्यक्ति को वस्तु तथा सेवा की कर योग्य आपूर्ति (जीरो रेटिड आपूर्ति के अतिरिक्त) के क्रय पर जीएसटी/एचएसटी का भुगतान करना होता है। कुछ बिक्री तथा आपूर्ति जीएसटी/एचएसटी से विमुक्त है। यद्यपि उपभोक्ता कर का भुगतान करता है, व्यापार सामान्यतः कर के संग्रहण तथा उन्हें सरकार को प्रेषण के लिए उत्तरदायी होते हैं। व्यापार जिन्हें जीएसटी/एचएसटी का पंजीकरण करवाना होता है रिजस्ट्रेंटस कहलाते हैं। रिजस्ट्रेंटस अपनी ज्यादातर बिक्री पर जीएसटी/एचएसटी का संग्रहण करते हैं तथा अपने व्यापार को परिचालित करने के लिए ज्यादातर क्रय पर जीएसटी/एचएसटी का भुगतान करते हैं। वे जीएसटी/एचएसटी जिसका उन्होंने भुगतान किया है अथवा क्रय जिसका वे वाणिज्यिक गतिविधि में उपयोग करते हैं पर देनदार होने, जिसे इनपुट कर क्रेडिट कहते हैं का दावा कर सकते हैं।

कर योग्य आपूर्ति

कर योग्य आपूर्ति उस वस्तु तथा सेवा की आपूर्ति को कहते हैं जिसे वाणिज्यिक

गतिविधि के दौरान प्रदान किया जाता है तथा जो जीएसटी /एचएसटी के तहत अथवा 0 (जीरो) रेटिड हैं।

जीरो रेटिड आपूर्ति

जीरो रेडिट आपूर्ति कुछ वस्तु तथा सेवाओं को कहते हैं जो 0% की दर से कर योग्य है। इसका अर्थ है कि इन वस्तु तथा सेवा की आपूर्ति पर किसी प्रकार का जीएसटी/एचएसटी नहीं वसुला जाएगा परन्तु जीएसटी/एचएसटी रिजस्ट्रेंटस जीएसटी/एचएसटी जिसका भुगतान वे करते हैं अथवा क्रय पर देनदारी रखते हैं के लिए इनपुट कर क्रेडिट का दावा कर सकते हैं।

विमुक्त आपूर्ति

विमुक्त आपूर्ति वह वस्तु तथा सेवा है जो जीएसटी/एचएसटी के तहत नहीं है। रिजस्ट्रेंटस जीएसटी/एचएसटी जिनका वे भुगतान करते हैं अथवा इस प्रकार की आपूर्ति से संबंधित काम पर देनदारी रखते हैं कि वसुली के लिए इनपुट क्रेडिट का दावा नहीं कर सकते हैं।

एचएसटी क्या है

तीन प्रान्त Nova Soctia, New Bremswick तथा Newfoundland तथा Labrador ने एचएसटी को सृजित करने के लिए जीएसटी का प्रांतीय बिक्री कर के साथ सामंजस्य किया। इन तीन प्रांत को सहभागी प्रांत के रूप में जाना जाता है। 1 जनवरी 2008 से प्रभावी जीएसटी दर को 6% से घटाकर 5% कर दिया तथा एचएसटी दर को 14% से घटाकर 13% कर दिया गया। एचएसटी, जीएसटी तथा 8% प्रांतीय कर से मिल कर बना है तथा वस्तु तथा सेवा के उसी आधार पर लागू होता है जो जीएसटी के अन्तर्गत कर योग्य है। एचएसटी उन्हीं नियमों का पालन करता है जिनका जीएसटी करता है।

जीएसटी/एचएसटी रजिस्ट्रेंटस सहभागी प्रांत से बाहर कनाडा में बनी वस्तु तथा सेवा की कर योग्य आपूर्ति (जीरो रेटिड आपूर्ति को छोडकर) पर जीएसटी को संग्रहित करना जारी रखते हैं। सहभागी प्रांत के अन्दर की आपूर्ति पर वे एचएसटी संग्रहण करते हैं। सभी जीएसटी-रजिस्ट्रेटंस स्वतः एचएसटी के लिए पंजीकृत है।

स्रोत : http://www.cra-arc.gc.ca

2. आस्ट्रेलियन जीएसटी

आस्ट्रेलिया में जीएसटी ज्यादातर वस्तु तथा सेवा पर 10% का वृहत आधारित कर है। ज्यादातर मामलों में जीएसटी उस कीमत में सिम्मिलित है जिसका भुगतान किया गया है। केवल पंजीकृत व्यापार इकाइयाँ कर क्रेडिट के लिए हकदार है। इस प्रावधान का प्रभाव है कि उपभोक्ता को क्रय वस्तु तथा सेवा पर भुगतान किए हुए जीएसटी के लिए प्रतिपुत्ति नहीं की जाती।

ज्यादातर खाद्य वस्तुऐं जिसमें मांस, फल तथा सब्जी सिम्मिलित है जीएसटी मुक्त है। यद्यि, कुछ खाद्य पदार्थ तथा पेय को जीएसटी में सिम्मिलित किया गया है -- उदाहरण के लिए, तैयार भोजन, टेकअवे भोजन, रेस्त्रा भोजन, आईसक्रीम, मिठाई, स्नैक भोजन, एल्कोहिलिक पेय तथा साफ्ट ड्रिंक। अन्य जीएसटी मुक्त मदों में ज्यादातर शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा, पात्र बच्चे की देखरेख तथा अन्य वस्तु तथा सेवा की शृंखला सिम्मिलित है।

आपूर्ति

जीएसटी शब्दावली के एक बिक्री को 'आपूर्ति' के रुप में संयमित किया जाता है। आपूर्ति की परिभाषा को ज्यादातर प्राप्ति के लिए काफी वृहमत रूप से बनाया गया है तािक व्यापार का सभी राजस्व जीएसटी के तहत हो। एक आपूर्ति में निम्न सिम्मिलित हैं

- वस्तु की आपूर्ति
- सेवा को प्रदान करना
- सलाह अथवा सूचना को प्रदान करना
- वास्तविक सम्पत्ति को प्रदान करना, समनुदेशन करना अथवा अभ्यपर्ण
- किसी अधिकार का सृजन, प्रदान करना, अतंरण, समनुदेशन अथवा अभ्यपर्ण
- वित्तीय सेवा
- कुछ करने के लिए एक दायित्व में प्रवेश करना, कुछ करने से बचना अथवा किसी को सहन करना अथवा किसी को इस प्रकार के दायित्व से छोडना

 इनमें से किसी का समन्वय जिसमें मूल्य सिम्मिलित है (धन अथवा वस्तु/सेवा अथवा वस्तु में) एक हाथ से दूसरे हाथ में वस्तु का जाना जीएसटी उद्देश्य के लिए आपूर्ति है।

आपूर्ति की श्रेणियां

जीएसटी बिक्री अथवा आपूर्ति के तीन प्रकार है

- कर योग्य आपूर्ति
- जीएसटी मुक्त आपूर्ति
- इनपुट कर आपूर्ति

यह वर्णन करना महत्वपूर्ण है कि जीएसटी का सग्रंहण तथा भुगतान अथवा जीएसटी क्रेडिट का दावा करने के लिए हकदारी बिक्री/आपूर्ति की श्रेणी पर निर्भर होता है जैसे पूर्वानुमानित किया है।

कर योग्य आपूर्ति

इसका अर्थ आस्ट्रेलिया में पंजीकृत व्यक्ति अथवा इकाई द्वारा बनायी गई वस्तु तथा सेवा की आपूर्ति से है। इकाइयां जो जीएसटी के लिए पंजीकृत है को अपनी कर योग्य आपूर्ति पर जीएसटी को वसूल करना चाहिए तथा जीएसटी जिसका उन्होंने इन आपूर्ति को करने के लिए क्रय की गई वस्तु या सेवा पर भुगतान किया है पर इनपुट कर क्रेडिट के लिए हकदार होगा। वे इकाइयां जो जीएसटी के लिए पंजीकृत नहीं है वे अपने इनवायस (चालान) पर जीएसटी को वसूल नहीं कर सकते।

एक कर योग्य आपूर्ति विशेष रूप से उस आपूर्ति को अलग करता है तो जीएसटी मुक्त है तथा आपूर्ति जिनके इनपुट पर कर लगता है। आपूर्ति को कर योग्य आपूर्ति बनाने के लिए, इन मुख्य तत्वों को संयोग क्रम में विद्यमान होना चाहिए।

- आपूर्ति प्रतिफल के लिए होना चाहिए।
- आपूर्ति एक उद्यम के दौरान अथवा उद्यम को बढ़ाने के लिए होनी चाहिए।

- आपूर्ति आस्ट्रेलिया से जुड़ी होनी चाहिए
- आपूर्तिकर्त्ता जीएसटी के लिए पंजीकृत होना चाहिए अथवा पंजीकृत होने की आवश्यकता होनी चाहिए।

इसलिए कर योग्य आपूर्ति है:

- प्रतिफल के लिए की आपूर्ति
- एक उद्यम के दौरान तथा बढ़ाने के लिए की है
- एक पंजीकृत इकाई द्वारा
- तथा आपूर्ति आस्ट्रेलिया से जुड़ी है।

जब तक आपूर्ति

- जी एस टी मुक्त ना हो
- इनपुट कर के रूप में इस्तेमाल ना हों।
- स्कोप से बाहर ना हो।

जीएसटी मुक्त आपूर्ति

जीएसटी, जीएसटी मुक्त आपूर्ति पर वसुल नहीं किया जाता अथवा भुगतान योग्य नहीं है। जीएसटी मुक्त आपूर्ति की प्रमुख श्रेणी है:

- बाल देखरेख
- निर्यात (वस्तु तथा सेवा)
- धार्मिक सेवा
- दान संस्थान के द्वारा प्रचालित रैफल्स तथा बिंगो
- दान संस्थान की गैर वाणिज्यिक गतिविधियां
- जल, सिवरेज तथा ड्रेनेज

- समुद्र पार परिवहन
- चालु व्यापार की बिक्री
- सरकार द्वारा फ्री होल्ड अथवा इसी प्रकार के हित का प्रदान करना
- कुछ कृषि जमीन (फार्म लेंड)
- अपंग व्यक्तियों द्वारा उपयोग के लिए कारें
- अर्न्तराष्ट्रीय डाक
- कुछ संक्रमणकालीन व्यवस्था

इन्पुट कर आपूर्ति

यदि व्यक्ति इनपुट कर आपूर्ति को प्रदान करता है, क्रेता पर जीएसटी को वसुला नहीं जाता तथा विक्रेता आपूर्ति के लिए किये क्रय पर भुगतान किए गए जीएसटी के इनपुट कर क्रेडिट के लिए दावा करने में असमर्थ है। इनपुट कर आपूर्ति की प्रमुख श्रेणी है:

- आवासीय किराया
- कुछ आवासीय परिसर
- वित्तीय सेवा जैसे ब्याज, ऋण, अंशों में सौदा, सेवा निवृति, जीवन बीमा तथा
 अन्य वित्तीय प्रलेख

बिक्री के विभिन्न प्रकारो पर जीएसटी का संग्रहण तथा दावा

बिक्री का प्रकार	जीएसटी को क्या सग्रहित किया जायेगा	क्या जीएसटी क्रेडिट का दावा किया जायेगा
कर योग्य	हाँ	हाँ
जीएसटी मुक्त	नहीं	हाँ
इनपुट कर	नहीं	नहीं

आपूर्ति के स्कोप से बाहर

सभी आपूर्ति उपरोक्त सूचित तीन श्रेणी में नहीं आती। कुछ आपूर्ति जहां तक जीएसटी का संबंध है रिपोर्टिंग के स्कोप से बाहर होगी यदि वे कर योग्य आपूर्ति के लिए रेखािकतं टेस्ट में से एक को पूरा नहीं करती।

जीएसटी के स्कोप से बाहर सौदे के उदाहरण में सम्मिलित है:

- गैर पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा की गई आपूर्ति
- बिना प्रतिफल के लिए की आपूर्ति
- कुछ सरकारी कर तथा प्रभार के लिए भुगतान
- बिना शर्त अनुदान तथा चंदा (अनुदान/दान के प्राप्तकर्ता द्वारा इन परिस्थिति में कोई आपूर्ति नहीं की जाती)
- वेतन तथा मजदूरी

जीएसटी को जीएसटी के स्कोप से बाहर आपूर्ति की कीमत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। यद्यपि, यदि एक व्यक्ति जीएसटी के लिए पंजीकृत है वह आपूर्ति के इन प्रकार को करने के उद्देश्य के लिए अधिगृहित वस्तु की कीमत में सम्मिलित जीएसटी के लिए इनपुट कर क्रेडिट का दावा करने के लिए हकदार होगा।

3. इंग्लैंड (U.K.) में अप्रत्यक्ष कर

इंग्लैंड में, अप्रत्यक्ष कर सरंचना उत्पाद शुल्क तथा वेट से मिलकर बना है। यद्यपि उत्पाद शुल्क का फैलाव सीमित वस्तु तक ही सीमित है।

उत्पाद शुल्क को कुछ वस्तु जैसे मोटर इंधन, एल्कोहल, तम्बाकू, जुआ तथा वाहन पर वसुला जाता है। उत्पाद शुल्क के मामले में कर योग्य घटना "वस्तुओं का निर्माण" है। वेट एक कर है जिसे ज्यादातर वस्तु तथा सेवा पर वसुला जाता है जिसे वेट पंजीकृत व्यापार मुहैया कराते हैं। इसे वस्तु तथा कुछ सेवा पर भी वसुल किया जाता है, जिन्हें यूरोपियन यूनियन से बाहर के देशों से आयातित किया जाता है तथा अन्य यूरोपियन यूनियन देशों से युके में लाया जाता है।

अन्य देशो में वस्तु तथा सेवा कर

जब वेट पंजीकृत व्यापार या तो एक अन्य व्यापार को बेचता है अथवा एक गैर व्यापार उपभोक्ता को, तब वेट को वसूला जाता है जब वेट पंजीकृत व्यापार वस्तु अथवा सेवा को बेचता है, वे सामान्यता वेट का दावा कर सकते हैं जिसका उन्होंने भुगतान किया है। वस्तु अथवा सेवा जिसे व्यापार प्रदान करता है पर निर्भर वेट के तीन दर हैं:

- मानक -- 15%
- घटायी -- 5%
- शून्य -- शून्य

कुछ वस्तु तथा सेवा और भी है:

जो वेट से विमुक्त हैं, अथवा

पूरी तरह से यूके वेट सिस्टम से बाहर हैं।

वेट एक कर है जिसे यूके में ज्यादातर व्यापार सौदे पर वसुला जाता है। व्यापार, वेट को वस्तु की कीमत में जोड़ते हैं जब वे वस्तु तथा सेवा (1) ग्राहक को प्रदान करते हैं -- उदाहरण के लिए कपड़ा निर्माता वेट को कपड़े की उस कीमत में जोड़ता है जिसे वे कपड़ा दुकान से वसुलते हैं।

(2) गैर व्यापार ग्राहक -- जनता के सदस्य अथवा 'उपभोक्ता' -- उदाहरण के लिए एक हेयर ड्रेसिंग सैलून, वेट को उस कीमत में जिसे वे जनता के सदस्यों से वसुलते हैं में सिम्मिलित करते हैं।

यदि एक व्यक्ति वेट पंजीकृत व्यापार करता है ज्यादातर मामले में वह

- वस्तु तथा सेवा जिसे वह मुहैया कराता है, पर वेट को वसुलता है।
- वेट का पुनः दावा करता है जब वह अपने व्यापार के लिए वस्तु तथा सेवा का क्रय करता है।

यदि वह वेट पंजीकृत व्यापार अथवा संस्था नहीं है, तब वह वेट का पुनः दावा नहीं कर सकता जिसका वह भुगतान वस्तु तथा सेवा का क्रय करने पर करता है।

यदि वह वेट पंजीकृत है तब वह जो वेट अपनी वस्तु अथवा सेवा की बिक्री कीमत में जोड़ता है वह उसका 'आउटपुट कर' कहलाता है। वेट जिसका वह भुगतान करता है जब वह अपने व्यापार के वस्तु तथा सेवा का क्रय करता है 'इनपुट' कर कहलाता है।

4. सिंगापुर में जीएसटी

सिंगापुर में वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) घरेलु उपभोग पर कर है। कर का भुगतान तब किया जाता है जब धन वस्तु अथवा सेवा पर व्यय किया जाता है, आयात भी इसमें शामिल है। यह एक बहुचरण कर है जिसे उत्पादन तथा वितरण शृंखला के प्रत्येक चरण पर संग्रहित किया जाता है।

'आउटपुट कर' वह जीएसटी है जिसे पंजीकृत व्यापारी वस्तु तथा सेवा की स्थानीय आपूर्ति पर वसुलता है। उसके द्वारा कर का संग्रहण जीएसटी के नियंत्रक के पक्ष में किया जाता है। 'इनपुट कर' वह जीएसटी है जिसे व्यापारी अपने व्यापार के उद्देश्य के लिए वस्तु तथा सेवा के क्रय पर भुगतान किया है। इनपुट कर व्यापारी द्वारा भुगतान योग्य अथवा उसे वापसी योग्य जीएसटी तक पहुंचने के लिए आउटपुट कर से कटौती योग्य है। आउटपुट कर में से इनपुट कर की कटौती करके, व्यापारी द्वारा भुगतान योग्य अथवा उसे वापसी योग्य जीएसटी पर पहुँचा जा सकता है।

सिंगापुर जीएसटी का अवलोकन

जीएसटी को पहले 3% की दर पर 1 अप्रैल 1994 में प्रस्तुत किया। 2003 में जीएसटी की दर को बढ़ा कर 4% तथा 2004 में 5% कर दिया। बजट 2007 के घोषणा पत्र में 2007 से जीएसटी की दर को बढ़ाकर 7% कर दिया गया।

जीएसटी कर को इन पर लगाया जाएगा:

- एक व्यापार के दौरान अथवा व्यापार बढ़ाने में किसी करयोग्य व्यक्ति द्वारा सिंगापुर में वस्तु तथा सेवा की आपूर्ति, तथा
- किसी व्यक्ति द्वारा सिंगापुर में आयातित वस्तु पर।

अन्य देशो में वस्तु तथा सेवा कर

सामान्य रूप से, आपूर्तियाँ या तो कर योग्य हैं अथवा विमुक्त हैं। एक करयोग्य आपूर्ति वह है जो मानक रेटिड है अथवा शून्य रेटिड। केवल मानक रेटिड आपूर्ति पर 7% जीएसटी की दर से कर लगाया गया है।

जीरो रेटिंग आपूर्ति से अभिप्राय, सौदे के लिए 0% पर जीएसटी को लागू करना है। एक जीएसटी पंजीकृत व्यापारी को जीरो रेटिड आपूर्ति पर जीएसटी को वसुल करने की आवश्यकता नहीं है, परन्तु फिर भी उसे कर की वापसी की आज्ञा है जिसे उसने इनपुट पर भुगतान किया है। सिंगापुर में केवल वस्तुओं का 'निर्यात' तथा 'अर्न्तराष्ट्रीय' सेवा जीरो रेटिड है।

यदि आपूर्ति जीएसटी से विमुक्त है, उस पर कोई कर वसुली योग्य नहीं है। एक जीएसटी पंजीकृत व्यापारी उसकी विमुक्त आपूर्ति पर जीएसटी को नहीं वसुलता है। साथ ही साथ, वह अपने व्यापार के उद्देश्य के लिए, आपूर्ति वस्तु तथा सेवा पर भुगतान किए हुए जीएसटी के लिए 'इनपुट कर क्रेडिट का दावा करने का हकदार नहीं है। आवासीय समिति की बिक्री तथा पट्टा' तथा 'वित्तीय सेवा' सिंगापुर में जीएसटी से विमुक्त है।

[Source: http://www.mof.gov.sg]